मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग

जल जीवन मिशन
(हर घर जल)

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2019-20

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2019-20

अनुक्रमणिका

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
	भाग – एक	
1.1	प्रस्तावना	1
1.2	विभागीय संरचना	1
1.3	विभागीय उद्देश्य एवं कार्य	3
	भाग – दो	
2.1	बजट विहंगावलोकन	5
2.2	जेण्डर रिस्पोंसिव बजट का क्रियान्वयन	5
	भाग – तीन	
3.1	केन्द्र एवं राज्य पोषित योजनाएं	6
3.2	आदिवासी उपयोजना	11
3.3	आदिवासी बाहुल्य बसाहटों में 275(1) एवं विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पी.व्ही.टी.जी.) मद के कार्य	11
3.4	अनुसूचित जाति उपयोजना	12
3.5	स्थापित हैण्डपम्प एवं नलजल योजनाएं	12
3.6	जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी	15
3.7	लोक सेवा गारंटी	15
3.8	गुणवत्ता प्रभावित पेयजल स्त्रोतों वाली बसाहटों की योजनाओं का विवरण	15
3.9	भू जल संवर्धन एवं पुनर्भरण कार्यक्रम	16
3.10	विभागीय नलकूप खनन मशीनों का विवरण	19
3.11	राज्य जल सहायता संगठन	21
3.12	प्रशिक्षण कार्यक्रम	31
3.13	विभागीय कम्प्यूटरीकरण	31
3.14	नगरीय पेयजल कार्यक्रम	35
	भाग – चार	
1.1	प्रस्तावना	36
1.2	विभागीय संरचना	36
1.3	मध्यप्रदेश जल निगम कार्यालय	36
1.4	निगम के प्रमुख उद्देश्य	37
2.0	विभागीय बजट वर्ष 2019–20	38
2.1	कम्पनी की अंशपूंजी	38
2.2	योजनाओं हेतु ऋण एवं व्यय	38
2.3	खनिज क्षेत्र विकास निधि	38
2.4	बाह्य वित्त सहायतित निधि	38
3.0	समूह जल प्रदाय योजनाएँ	38
4.0	योजनाओं का संचालन संधारण	41
5.0	प्रचार–प्रसार गतिविधियाँ	
	भाग– पाँच	
1.	न्यायालयीन प्रकरण	45
2.	स्थानान्तरण प्रकरण	45
3.	विभागीय पदोन्नतियाँ	45
4.	विभागीय जाँच प्रकरण	45
5.	नियुक्तियाँ	46
6.	सूचना का अधिकार	46
7.	वर्ष 2019–20 में विधानसभा प्रश्नों आदि से सम्बन्धित कार्यों का विवरण	47
	भाग – छः	
1.	मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	48
2.	मुख्यमंत्री ग्राम नलजल योजना का क्रियान्वयन	48
3.	स्वजल कार्यक्रम (समुदाय आधारित पेयजल योजना)	49
4.	मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (आम–जन की समस्याओं का निराकरण)	50
5.	राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का क्रियान्वयन	50
	भाग – सात	
	विभागीय प्रकाशन से संबंधित जानकारी	53
	भाग – आठ	
	सारांश	53

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2019–20

मंत्री

माननीय श्री ऐदल सिंह कंषाना

राज्य मंत्री

माननीय श्री बृजेन्द्र सिंह यादव

मंत्रालय

●	**प्रमुख सचिव**	▶	**श्री मलय श्रीवास्तव (आई.ए.एस.)**
●	उप सचिव	▶	श्री राजेश शाक्यवार
●	अवर सचिव	▶	श्री एस. के. सेन्द्रे
●	अवर सचिव	▶	श्री डी.के. जैन

विभागाध्यक्ष

●	**प्रमुख अभियंता**	▶	**श्री के. के. सोनगरिया**
●	प्रमुख अभियंता (सलाहकार)	▶	श्री सी. एस. संकुले
●	संचालक (जल सहायता संगठन)	▶	श्री विजय सिंह सोलंकी
●	मुख्य अभियंता (भोपाल परिक्षेत्र)	▶	श्री ए. के. जैन
●	मुख्य अभियंता (इंदौर परिक्षेत्र)	▶	श्री दीपक रत्नावत
●	मुख्य अभियंता (ग्वालियर परिक्षेत्र)	▶	श्री एस. के. अंधवान
●	मुख्य अभियंता (जबलपुर परिक्षेत्र)	▶	श्री सी.के. सिंह
●	मुख्य अभियंता (वि./यां.) भोपाल	▶	श्री अशोक बघेल

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित

●	**प्रबंध संचालक**	▶	**श्री तेजस्वी एस. नायक (आई.ए.एस.)**
●	परियोजना निदेशक	▶	श्री बी. एम. सोनी

1. भाग – एक

1.1 प्रस्तावना :–

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित नीति/मापदण्डों के अनुसार पर्याप्त मात्रा एवं गुणवत्ता युक्त पेयजल प्रदाय सुनिश्चित करने हेतु पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। साथ ही, समूह योजनाओं के माध्यम से शहरों एवं गॉवों की दीर्घकालिक पेयजल व्यवस्था के अन्तर्गत बल्क वाटर उपलब्ध कराया जाता है।

1.2 विभागीय संरचना :–

- **शासन स्तरीय :–**

  लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय में वर्तमान में प्रमुख सचिव, दो उप सचिव, तथा दो अवर सचिव कार्यरत हैं।

- **विभाग स्तरीय :–**

  विभाग में विभिन्न स्तर के अभियंताओं के स्वीकृत पदों की जानकारी निम्नानुसार है :–

  - प्रमुख अभियंता – 01 पद
  - प्रमुख अभियंता (सलाहकार) – 01 पद
  - मुख्य अभियन्ता (सिविल) – 04 पद
  - संचालक (जल सहायता संगठन) – 01 पद
  - मुख्य अभियन्ता (वि./यां.) – 01 पद
  - अधीक्षण यन्त्री (सिविल) – 24 पद
  - अधीक्षण यन्त्री (वि./यां.) – 05 पद
  - कार्यपालन यन्त्री (सिविल) – 74 पद
  - कार्यपालन यन्त्री (वि./यां.) – 11 पद
  - सहायक यन्त्री (सिविल) – 241 पद
  - सहायक यन्त्री (वि./यां.) – 62 पद
  - उपयन्त्री (सिविल) – 974 पद
  - उपयन्त्री (वि./यां.) – 263 पद

➢ प्रदेश में विभाग के विभिन्न कार्यालयों की स्थिति

- **कार्यालय प्रमुख अभियंता :–**

  कार्यालय प्रमुख अभियंता भोपाल में स्थित है, जिसमें विभागाध्यक्ष के रूप में प्रमुख अभियंता पदस्थ हैं। इसी कार्यालय में प्रमुख अभियन्ता (सलाहकार) तथा संचालक (मुख्य अभियंता स्तर), जल सहायता संगठन का एक–एक पद स्वीकृत है।

- **परिक्षेत्र कार्यालय :—**

  विभाग की मैदानी स्थापना पांच परिक्षेत्रों में विभाजित है जिनमें चार सिविल कार्यों एवं एक विद्युत/यांत्रिक कार्यों से संबंधित है। मुख्य अभियंता, परिक्षेत्र कार्यालय के प्रमुख हैं। सिविल परिक्षेत्र कार्यालय क्रमशः भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर तथा विद्युत/यांत्रिकी परिक्षेत्र कार्यालय भोपाल में स्थित हैं। परिक्षेत्र भोपाल के अंतर्गत भोपाल एवं नर्मदापुरम राजस्व संभाग, इंदौर परिक्षेत्र के अंतर्गत इंदौर एवं उज्जैन राजस्व संभाग, ग्वालियर परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्वालियर, चंबल तथा सागर राजस्व संभाग एवं जबलपुर परिक्षेत्र के अतंर्गत जबलपुर, रीवा एवं शहडोल राजस्व संभाग सम्मिलित है। सिविल संकाय के मुख्य अभियंताओं के अधीन ठेकेदारों के माध्यम से नलकूप खनन सहित अन्य सिविल कार्यों का क्रियान्वयन कराया जाता है। विद्युत यांत्रिकी संकाय के मुख्य अभियंता के अधीन प्रदेश में समस्त विभागीय ड्रिलिंग मशीनों से नलकूप खनन तथा मशीनों के रखरखाव के कार्य किये जाते हैं।

- **मंडल कार्यालय :—**

  प्रदेश में संभाग स्तर पर 10 संभाग मुख्यालय सहित 13 स्थानों क्रमशः भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम, चम्बल, पन्ना, खरगोन एवं परियोजना मण्डल छिन्दवाड़ा में मंडल कार्यालय स्थापित हैं जिनके माध्यम से विभिन्न योजनाओं के कार्य सम्पादित किये जाते हैं। इन मण्डल कार्यालयों द्वारा अधीनस्थ खंडों एवं उपखंडों पर प्रशासकीय नियंत्रण रखा जाता है। प्रत्येक मंडल कार्यालय के प्रमुख अधीक्षण यंत्री हैं।

- **खंड कार्यालय :—**

  प्रदेश के सभी 53 जिलों में 55 सिविल खंड एवं 07 विद्युत यांत्रिकी खण्ड क्रमशः भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर एवं रीवा में स्थापित है। इसके अतिरिक्त 04 परियोजना खण्ड, 07 संधारण खण्ड, एवं 01 गुणवता नियंत्रण इकाई खण्ड कार्यालय स्थापित हैं।

  प्रदेश में सिविल संकाय के 204 एवं विद्युत यांत्रिकी संकाय के 47 उपखण्ड कार्यालय स्थापित है। प्रत्येक उपखंड कार्यालय के प्रमुख सहायक यंत्री हैं।

- मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के आदेश क्रमांक— एफ 16—149/2012/2/34 भोपाल दिनांक 06 जून 2012 द्वारा प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरीय क्षेत्रों में समूह नलजल प्रदाय योजनाओं एवं नलजल विकास व उपचार के क्रियान्वयन, संचालन/संधारण एवं समन्वय के लिए ''मध्यप्रदेश जल निगम'' का गठन किया गया, जिसका पंजीयन कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत 9 जुलाई, 2012 को ''मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित'' के नाम से किया गया।

  मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन हैं। मध्यप्रदेश जल निगम का पंजीकृत कार्यालय विन्ध्याचल भवन, भोपाल में स्थापित है।

➢ जल परीक्षण प्रयोगशाला :–

विभाग द्वारा पेयजल की गुणवत्ता के परीक्षण हेतु विभिन्न स्तर पर स्थापित जल परीक्षण प्रयोगशालायें निम्नानुसार है :–

राज्य स्तर :– प्रदेश में राज्य स्तर पर एक एन.ए.बी.एल. प्रमाणीकृत राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित है। प्रयोगशाला के प्रमुख, मुख्य रसायनज्ञ हैं। यह प्रयोगशाला गुणवत्ता नियंत्रण इकाई खण्ड भोपाल के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत् हैं।

जिला स्तर :– प्रदेश में 55 जिला स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशालायें स्थापित है। प्रयोगशाला के प्रमुख, रसायनज्ञ हैं तथा यह प्रयोगशालायें संबंधित जिले के कार्यपालन यंत्री के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं। प्रदेश के 4 नवीन खण्ड कार्यालयों, खुरई (जिला सागर), मऊगंज (जिला रीवा), सरदारपुर (जिला धार) एवं परासिया (जिला छिन्दवाड़ा) में 4 उपखण्ड स्तरीय प्रयोगशालाओं को उन्नयन कर जिला स्तरीय प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं।

उपखण्ड स्तर :– प्रदेश में 104 उपखण्ड स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशालायें स्थापित थी, इनमें से उपरोक्तानुसार 4 उपखण्ड स्तरीय प्रयोगशालाओं को उन्नयन कर जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं में परिवर्तित करने के फलस्वरूप वर्तमान में 100 उपखण्ड स्तरीय प्रयोगशालाएं कार्यरत् हैं। प्रयोगशाला के प्रमुख, रसायनज्ञ हैं तथा यह प्रयोगशालायें संबंधित उपखण्ड के सहायक यंत्री के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं।

1.3 विभागीय उद्देश्य एवं कार्य :–

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के उद्देश्य एवं किये जाने वाले कार्य का विवरण निम्नानुसार है :–

1. ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित एवं निर्धारित मात्रा में राज्य शासन की नीति एवं निर्देशों के अनुरूप पेयजल प्रदाय हेतु नलजल योजनाओं का सर्वेक्षण, अन्वेषण एवं क्रियान्वयन।
2. हैंडपंप स्थापना एवं उनके संधारण का कार्य।
3. पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल प्रदाय हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन।
4. जल प्रदाय योजनाओं के स्त्रोतों के स्थायित्व हेतु भू–जल पुनर्भरण एवं संवर्धन योजनाओं तथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग योजनाओं का क्रियान्वयन।
5. पेयजल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता की निगरानी एवं अनुश्रवण।
6. सहायक गतिविधियों का क्रियान्वयन।
7. जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम का क्रियान्वयन।
8. नगरीय निकायों सहित अन्य संस्थानों द्वारा चाहे जाने पर जल प्रदाय एवं मल जल निकासी योजनाओं का सर्वेक्षण, अन्वेषण, योजना प्रतिवेदन तैयार कर योजनाओं का क्रियान्वयन।

ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल प्रदाय हेतु नलजल योजनाओं का क्रियान्वयन

ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल प्रदाय हेतु नलजल योजनाओं का क्रियान्वयन

2. भाग – दो

2.1 बजट विहंगावलोकन :–

विगत 03 वर्षों में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एवं राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत प्रावधानित राशि एवं व्यय की जानकारी निम्नानुसार है :– (रुपये करोड़ में)

क्रमांक	विवरण		वित्तीय वर्ष					
			2017–18		2018–19		2019–20	
			प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय
1.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	विभाग	334.16	304.92	550.44	546.77	557.61	464.88
		जल निगम	-	15.75	-	0.07	-	2.47
		योग	334.16	320.67	550.44	546.84	-	467.35
2.	राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	विभाग	900.00	589.32	536.26	446.95	1378.34	244.33
		जल निगम	1658.87	1051.14	1324.70	1050.44	1463.00	1182.01
		योग	2558.87	1640.46	1860.96	1497.39	2841.34	1426.34
3.	अन्य कार्यक्रम / मद	विभाग	816.28	611.91	1380.83	1094.83	967.13	714.47
		जल निगम	-	-	-	-	-	-
		योग	**816.28**	**611.91**	**1380.83**	**1094.83**	**967.13**	**714.47**
		महायोग	**3709.31**	**2573.04**	**3792.23**	**3139.06**	**4366.08**	**2608.16**

भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि का वित्तीय ढांचा मुख्य रूप से 50:50 (केन्द्रांश:राज्यांश) के अनुपात में होता है, जबकि राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा शतप्रतिशत वित्त पोषित है।

2.2 "जेण्डर रिस्पोंसिव" बजट का क्रियान्वयन :–

वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के परिपालन में विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं में महिलाओं की सशक्त भागीदारी एवं पेयजल की योजनाओं से महिलाओं को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने में जेण्डर समानता की समीक्षा एवं निगरानी हेतु प्रमुख अभियन्ता कार्यालय स्तर पर "जेण्डर बजटिंग सेल" का गठन किया है। विभाग के कार्यों एवं दृष्टिकोण के सम्बन्ध में विचार विमर्श कर क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं में महिलाओं की सशक्त भागीदारी एवं पेयजल की योजनाओं से महिलाओं को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, इस संबंध में सेल द्वारा निरंतर कार्यवाही की जा रही है।

3. भाग – तीन

3.1 केन्द्र एवं राज्य पोषित योजनाएं :–

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 से प्रारम्भ किये गये राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित नीति एवं निर्देशों के अनुरूप विभाग द्वारा ग्रामीण पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा था। भारत सरकार द्वारा जल शक्ति मंत्रालय के गठन के उपरान्त पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा राष्ट्रीय जल जीवन मिशन दिसम्बर 2019 में प्रारम्भ किया गया है। मिशन के माध्यम से भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना लक्षित किया गया है।

3.1.1 ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम :–

भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की मार्गदर्शिका में प्रावधानों के अनुसार प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्रों में जलप्रदाय योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय ढॉचे का अनुपात 50:50 (केन्द्रांश : राज्यांश) निर्धारित है।

राज्य शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार हैण्डपम्प योजनाओं से जलप्रदाय हेतु 55 ली. प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नलजल योजनाओं के माध्यम से 70 ली. प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित है।

प्रदेश की अधिकांश ग्रामीण जलप्रदाय योजनाएं भू–गर्भीय जल स्त्रोतों (मुख्यतः नलकूपों) पर आधारित हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा अधिकाधिक मात्रा में नलजल योजनाओं का क्रियान्वयन कर घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से ग्रामीण आबादी को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन से पेयजल प्रदाय के आच्छादन को बढ़ाया जा सके। वर्तमान में घरेलू नल कनेक्शन से पेयजल प्रदाय व्यवस्था की स्थिति निम्नानुसार है :–

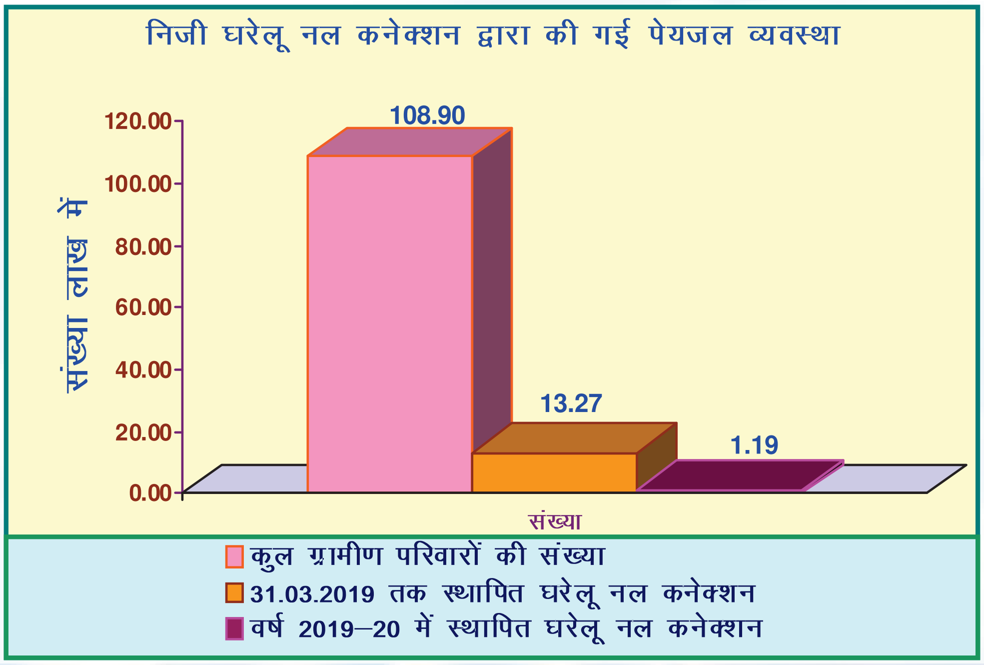

3.1.2 बसाहटों में जलप्रदाय व्यवस्था के मानदण्ड :–

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शिका में दिये गये निर्देशों के तारतम्य में बसाहट को पूर्णतः आच्छादित श्रेणी में वर्गीकृत करने हेतु राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं :–

(क) ऐसी बसाहटें जिनमें प्रत्येक परिवार को 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करा दिया गया हो।

(ख) प्रत्येक परिवार को उसके निवास स्थान से अधिकतम 300 मीटर की परिधि में सुरक्षित पेयजल स्त्रोत उपलब्ध करा दिया गया हो।

(ग) पहाड़ी क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को उसके निवास स्थान से अधिकतम 30 मीटर की ऊँचाई या निचाई पर पेयजल स्त्रोत उपलब्ध करा दिया गया हो।

(घ) ऐसी बसाहटें जिनमें नलजल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से जलप्रदाय किया जाना है, न्यूनतम मात्रा 70 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मान से पेयजल उपलब्ध करा दिया गया हो।

3.1.3 बसाहटों में पेयजल व्यवस्था की स्थिति :–

प्रदेश में विगत वर्षों में किये गये कार्यों के फलस्वरूप 01 अप्रैल, 2019 की स्थिति में कुल 128231 बसाहटों में से 112134 बसाहटें पूर्णतः आच्छादित की श्रेणी में हैं एवं 15944 बसाहटें आंशिक पूर्ण श्रेणी में है। पूर्णतः आच्छादित श्रेणी में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अथवा इससे अधिक के मापदण्ड तथा आंशिक पूर्ण श्रेणी में 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन से अधिक के मान से पेयजल प्रदाय वाली बसाहटों को रखा जाता है। आंशिक पूर्ण बसाहटों में जल गुणवत्ता से प्रभावित 153 बसाहटें भी सम्मिलित हैं। राज्य शासन की वर्तमान प्राथमिकता अनुसार पेयजल हेतु हैण्डपंपों पर निर्भरता कम करते हुए ग्रामीण आबादी को अधिक से अधिक क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शनों के माध्यम से पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाना है। अतः बसाहटों के आच्छादन हेतु नलकूप आधारित योजनाओं पर निर्भरता कम करते हुये उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार सतही स्त्रोत आधारित समूह नलजल योजनाओं के क्रियान्वयन में निरंतर वृद्धि की जा रही है।

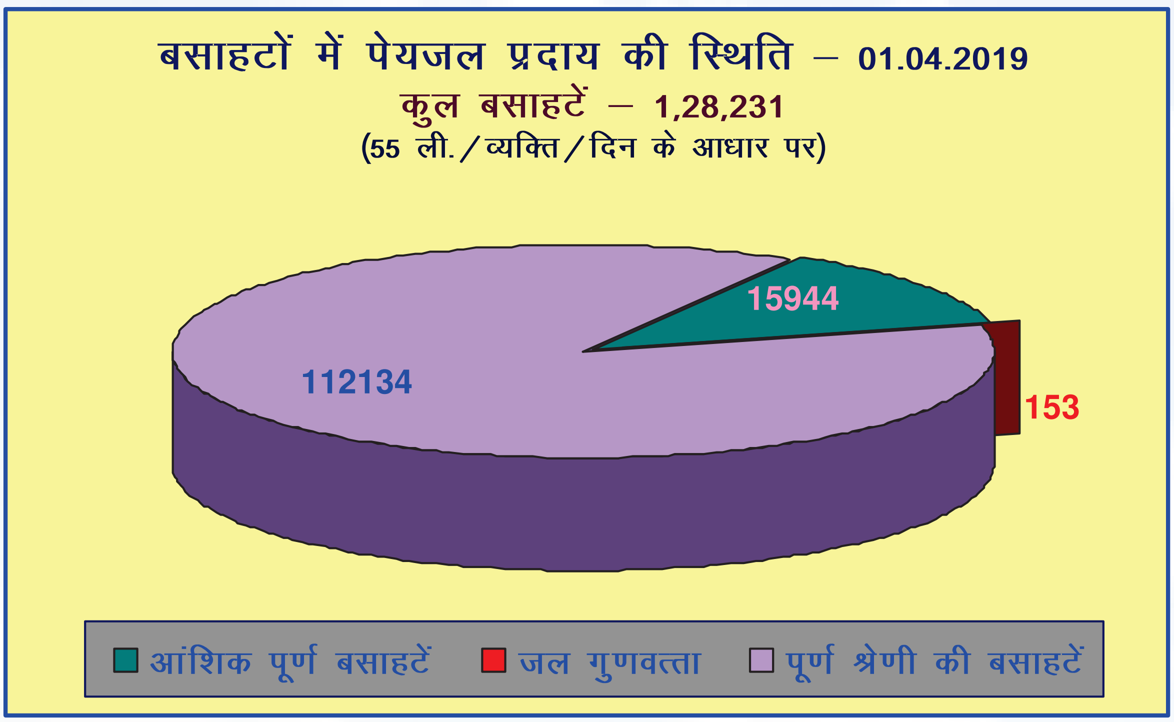

- **हैण्डपंप योजनाओं से बसाहटों का आच्छादन :–**

  राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 हेतु कुल 8104 आंशिक पूर्ण बसाहटों को पूर्णतः आच्छादित करने के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध माह दिसम्बर, 2019 तक कुल 4934 बसाहटों को पूर्णतः आच्छादित किया गया है, शेष कार्य निरंतरित हैं।

- **नलजल योजनाओं से बसाहटों का आच्छादन :–**

  वर्ष 2019–20 में नलजल योजनाओं के माध्यम से माह दिसम्बर, 2019 तक कुल 340 बसाहटों को आच्छादित किया गया है। पूर्ण की गई नलजल योजनाओं से क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

  वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 (माह दिसम्बर, 2019 तक) के दौरान पूर्ण की गई बसाहटों में पेयजल व्यवस्था का विवरण निम्नानुसार ग्राफ चार्ट में दर्शाया गया है :–

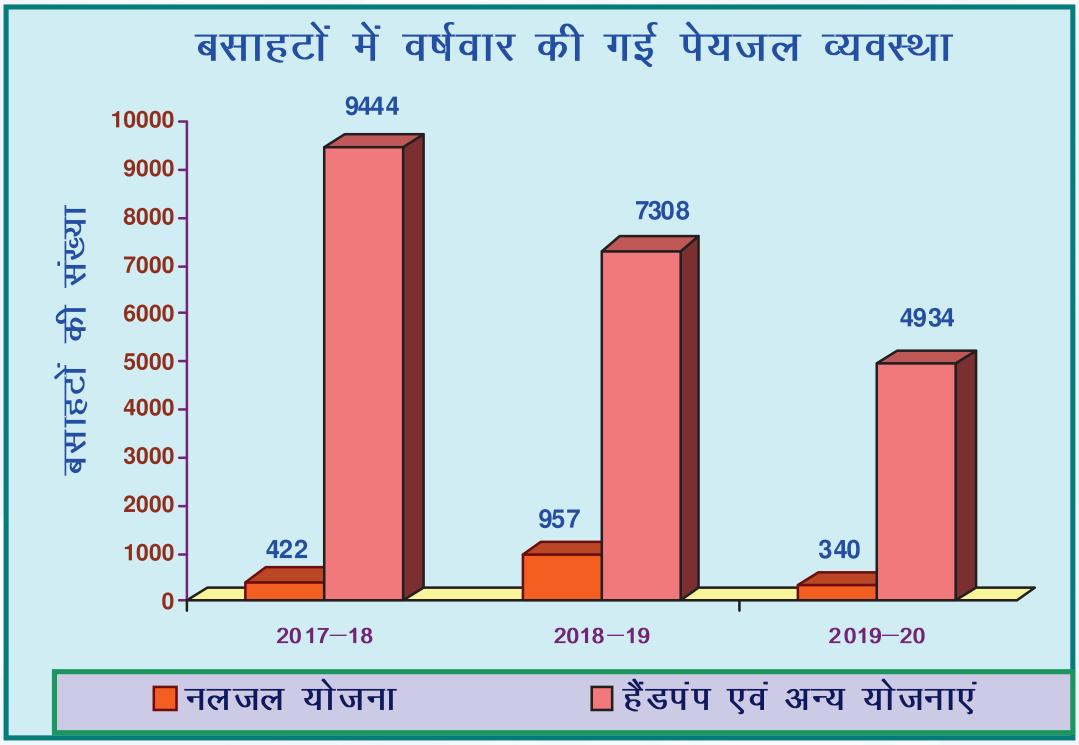

3.1.4 गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में कार्य :–

प्रदेश के कुछ जिलों के पेयजल स्रोतों में रसायनिक तत्वों की मात्रा निर्धारित मापदण्डों से अधिक पाई गई है, इनमें प्रमुख रूप से फ्लोराईड तत्व हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण जलप्रदाय कार्यक्रम के अन्तर्गत इन पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु कार्य किये जा रहे हैं।

प्रदेश की गुणवत्ता प्रभावित कुल चिन्हित 9183 बसाहटों में से 9030 बसाहटों में सुरक्षित वैकल्पिक स्त्रोतों पर आधारित योजनाओं के माध्यम से शुद्ध पेयजल माह मार्च 2019 तक, उपलब्ध कराया जा चुका है। दिनांक 01.04.2019 की स्थिति में शेष 153 गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में से कुल 09 बसाहटों में वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था की जा चुकी है। पेयजल गुणवत्ता से प्रभावित शेष चिन्हित बसाहटों में वैकल्पिक व्यवस्था से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के कार्य किये जा रहे हैं।

गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में पेयजल व्यवस्था

(01 अप्रैल, 2019 की स्थिति में)

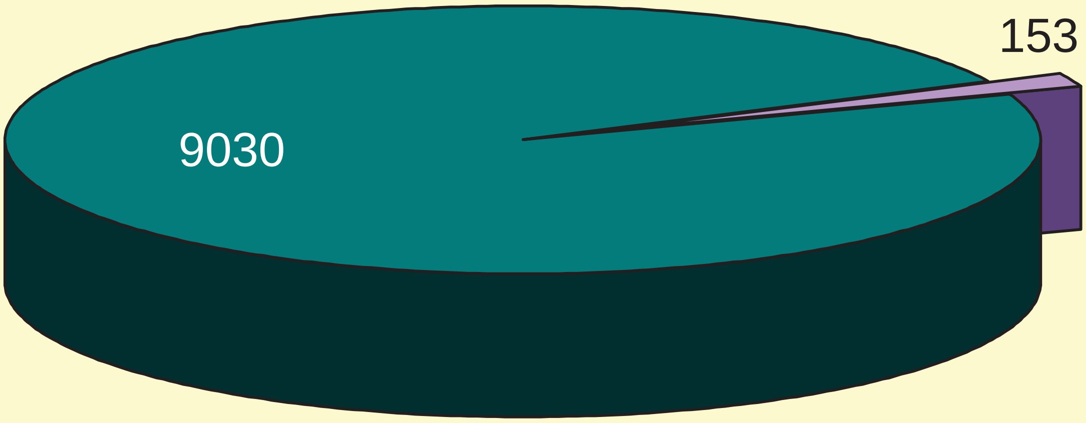

कुल बसाहटें :— 9183

वैकल्पिक व्यवस्था से पूर्ण (अस्थाई) | शेष

गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों की स्थिति (01.04.2019)

कुल बसाहटें : 153

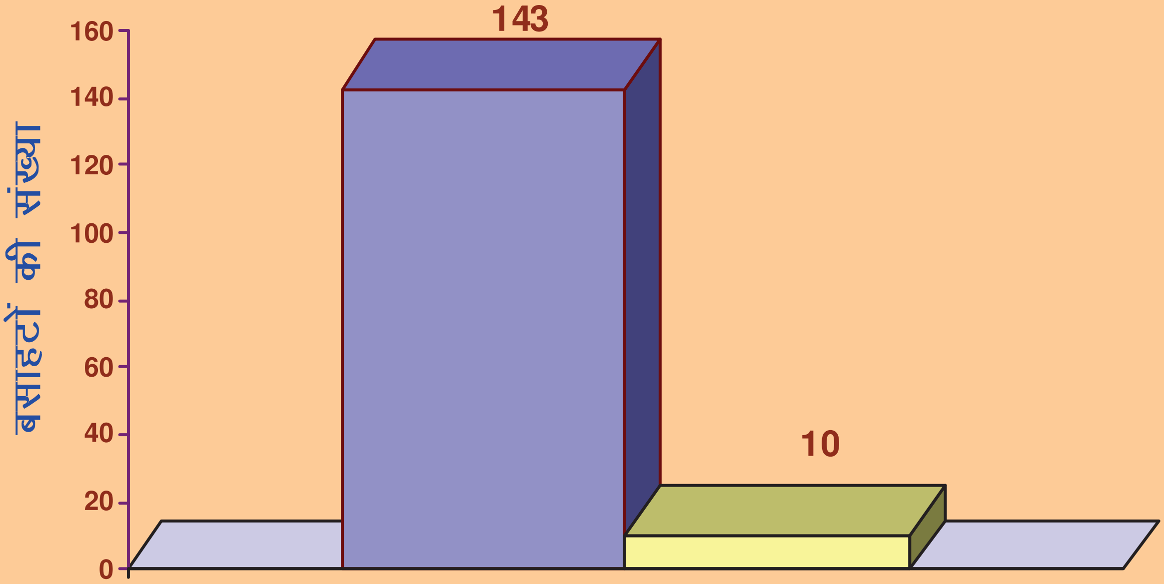

फ्लोराइड प्रभावित | खारेपन की अधिकता

3.1.5 ग्रामीण शालाओं एवं ऑगनवाड़ियों में जल प्रदाय :–

प्रदेश की सभी शासकीय भवन युक्त ग्रामीण शालाओं एवं ऑगनवाड़ियों में पेयजल व्यवस्था हेतु संबंधित विभाग से राशि प्राप्त होने पर कार्य कराया जाता है।

3.1.6 भू जल संवर्धन एवं स्रोत स्थायित्व कार्यो की प्रगति :–

विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में माह दिसम्बर, 2019 तक कुल 1605 नलकूपों में हाइड्रोफैक्चरिंग/नलकूपों की सफाई के कार्य पेयजल स्रोतों के स्थायित्व हेतु विभागीय मशीनों के माध्यम से किये गये हैं।

3.1.7 हैंडपंप–प्लेटफार्म का पुनर्निर्माण :–

वर्ष 2019–20 में माह दिसम्बर, 2019 तक 2114 पुराने एवं क्षतिग्रस्त हैंडपंप प्लेटफार्म के स्थान पर नये प्लेटफार्म निर्मित किए गए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में मैकेनिकल खण्ड उज्जैन द्वारा निर्मित हैण्डपम्प–प्लेटफार्म

3.1.8 स्रोत सूखने से बन्द योजनाओं में स्रोत निर्माण एवं अन्य कारणों से बंद योजनाओं को चालू करना :–

यद्यपि ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन–संधारण का दायित्व सम्बन्धित ग्राम पंचायतों का है, तथापि नलजल योजनाओं के स्रोत सूख जाने पर नवीन सफल स्त्रोत विकसित करने का दायित्व विभाग का है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में माह दिसम्बर, 2019 तक 1454 योजनाओं में नवीन सफल स्त्रोत विकसित कर एवं 1037 अन्य कारणों से बंद नलजल योजनाओं में सुधार कार्य कर, कुल 2491 बंद नलजल योजनाओं को पुनः चालू किया जाकर ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को निरंतरित रखा गया है।

3.1.9 माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणाओं का क्रियान्वयन :—

दिसम्बर, 2018 से 31.12.2019 तक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई कुल 09 घोषणाओं के विरुद्ध 07 घोषणाओं के कार्य पूर्ण सतत् एवं 02 घोषणाएं लम्बित हैं जिन पर कार्यवाही की जा रही है।

3.2 आदिवासी उपयोजना :—

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र की बसाहटों में विभाग द्वारा पेयजल व्यवस्था के कार्य प्राथमिकता के आधार पर किये जा रहे हैं। प्रदेश में आदिवासी बाहुल्य बसाहटों में वर्ष 2019—20 में माह दिसम्बर, 2019 तक कुल 2131 बसाहटों में पेयजल व्यवस्था के कार्य पूर्ण किये गये है।

आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत विगत 03 वर्षो में किये गये कार्यों की भौतिक उपलब्धि निम्नानुसार है :—

क्र.	कार्यक्रम	2017—18	2018—19	2019—20 (माह दिसम्बर, 2019 तक)
1.	हैण्डपंप योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण बसाहटों में पेयजल व्यवस्था	3661	2723	2013
2	नलजल योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण बसाहटों में पेयजल व्यवस्था	154	414	109
3	गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में पेयजल व्यवस्था	08	11	9
4	ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था	277	—	—
5	ग्रामीण ऑगनवाड़ियों में पेयजल व्यवस्था	232	—	—

आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत विगत 03 वर्षो में किये गये कार्यों की वित्तीय उपलब्धि निम्नानुसार है :—

(रुपये लाख में)

क्र.	विवरण	2017—18	2018—19	2019—20 (माह दिसम्बर, 2019 तक)
1	ग्रामीण क्षेत्र	23749.23	44303.07	41980.12
2	नगरीय क्षेत्र	340.00	0.00	0.00
	योग	**24089.23**	**44303.07**	**41980.12**

3.3 आदिवासी बाहुल्य बसाहटों में 275(1) एवं विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पी.व्ही.टी.जी.) मद के कार्य:—

जनजातीय कार्य विभाग द्वारा आदिवासी बाहुल्य बसाहटों में पेयजल व्यवस्था हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता 275(1) एवं विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पी.व्ही.टी.जी.) मद में राशि उपलब्ध कराये जाने की सहमति दिये जाने के उपरांत विभाग द्वारा वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार 150—250 जनसंख्या वाली बसाहटों में सिंगल फेस मोटर पंप आधारित लघु नलजल योजनाओं का क्रियान्वयन कर घरेलू कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय का कार्य प्रारंभ किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018—19 के अंत में 400 योजनाओं के कार्य प्रारंभ किये गये हैं, जिसमें से अभी तक कुल 121 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं, शेष कार्य निरंतरित हैं।

3.4 अनुसूचित जाति उपयोजना :–

अनुसूचित जाति उपयोजना क्षेत्र की बसाहटों में विभाग द्वारा पेयजल व्यवस्था के कार्य प्राथमिकता के आधार पर किये जा रहे हैं। प्रदेश में अनुसूचित जाति बाहुल्य बसाहटों में वर्ष 2019–20 में माह दिसम्बर, 2019 तक कुल 350 बसाहटों में पेयजल व्यवस्था के कार्य पूर्ण किये गये हैं।

अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत विगत 03 वर्षो में किये गये कार्यों की भौतिक उपलब्धि निम्नानुसार है :–

क्र.	कार्यक्रम	2017–18	2018–19	2019–20 (माह दिसम्बर, 2019 तक)
1.	हैण्डपंप योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण बसाहटों में पेयजल व्यवस्था	677	491	337
2	नलजल योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण बसाहटों में पेयजल व्यवस्था	28	43	13
3	गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में पेयजल व्यवस्था	01	–	–
4	ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था	163	–	–
5	ग्रामीण ऑगनवाड़ियों में पेयजल व्यवस्था	145	–	–

अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत विगत 03 वर्षो में किये गये कार्यों की वित्तीय उपलब्धि निम्नानुसार है :–

(रुपये लाख में)

क्र.	विवरण	2017–18	2018–19	2019–20 (माह दिसम्बर, 2019 तक)
1	ग्रामीण क्षेत्र	24622.47	32925.14	22271.82
2	नगरीय क्षेत्र	195.50	0.00	0.00
	योग :	**24817.97**	**32925.14**	**22271.82**

3.5 स्थापित हैण्डपंप एवं नलजल योजनाएं:–

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में दिनांक 31.12.2019 की स्थिति में स्थापित हैंडपंपों व क्रियान्वित की गई नलजल योजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है :–

➢ **स्थापित हैंडपंपों की स्थिति :–**

क्रमांक	विवरण	संख्या
1.	**कुल स्थापित शासकीय हैंडपम्प**	**5,50,261**
2.	चालू हैंडपम्प	5,44,617
3.	कुल बन्द हैण्डपम्प	5,647
3.1	जलस्तर कम होने से बन्द हैण्डपम्प	2,59
3.2	असुधार योग्य (भरे–पटे आदि)	1,917
3.3	साधारण खराबी से बन्द (सुधार योग्य)	3,471

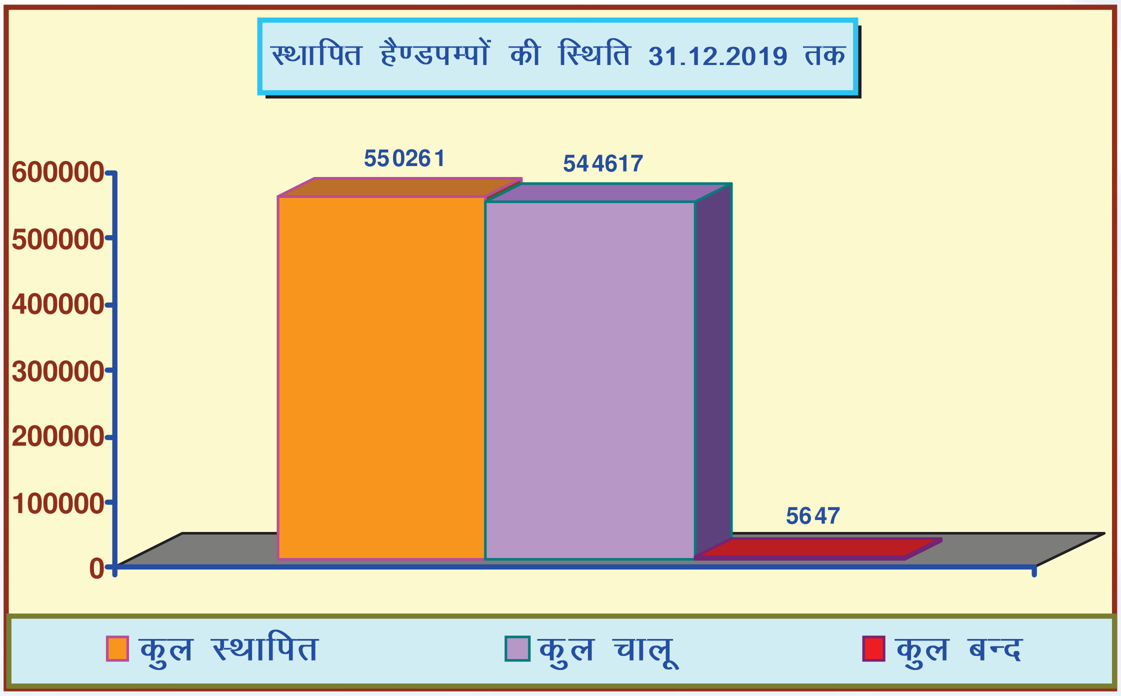

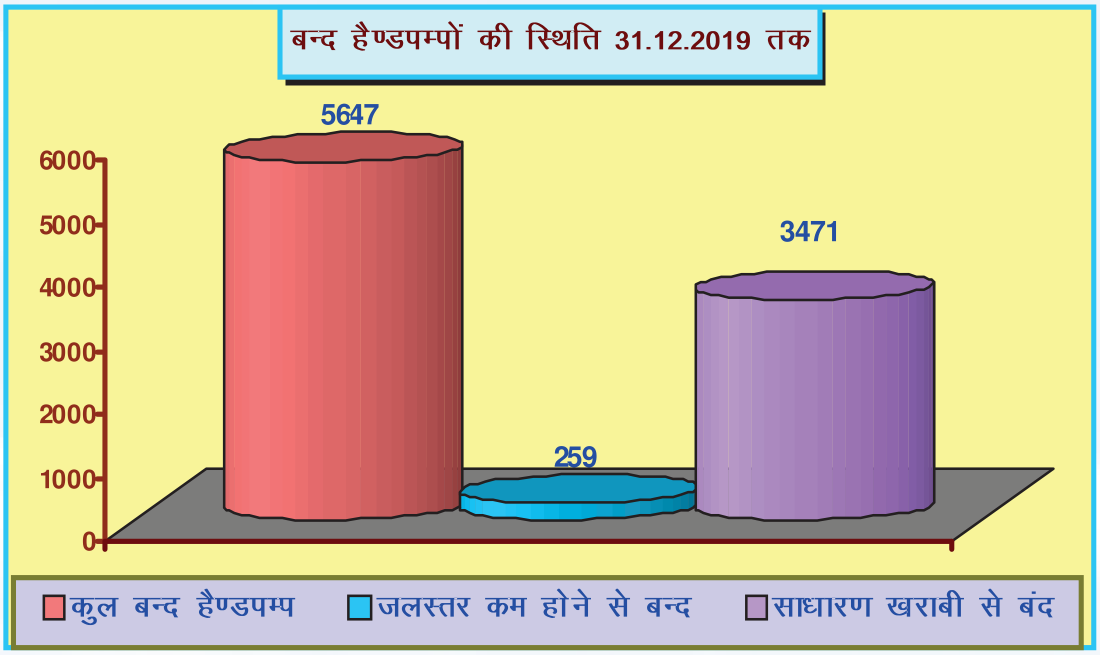

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित हैण्डपंपों का संधारण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किया जाता है। संधारण कार्यों के अंतर्गत ही सामान्य रख–रखाव के साथ साथ जल स्तर नीचे जाने पर हैण्डपंपों में राइजर पाइप में वृद्धि के कार्य, आवश्यकतानुसार तकनीकी रूप से संभव होने पर भरे–पटे नलकूपों को साफ कर उन्हें पुनः उपयोगी बनाने, नलकूपों में हाइड्रोफ्रैक्चरिंग व हैण्डपंपों के क्षतिग्रस्त प्लेटफार्म निर्माण आदि के कार्य भी विभाग द्वारा किये जाते हैं।

➢ **स्थापित नलजल/स्थलजल प्रदाय योजनाओं की स्थिति :–**

प्रदेश में दिनांक 31.12.2019 की स्थिति में, ग्रामीण क्षेत्र में कुल स्थापित 16,061 ग्रामीण नलजल/स्थल जलप्रदाय योजनाओं का विवरण ग्राफ चार्ट में दर्शित है।

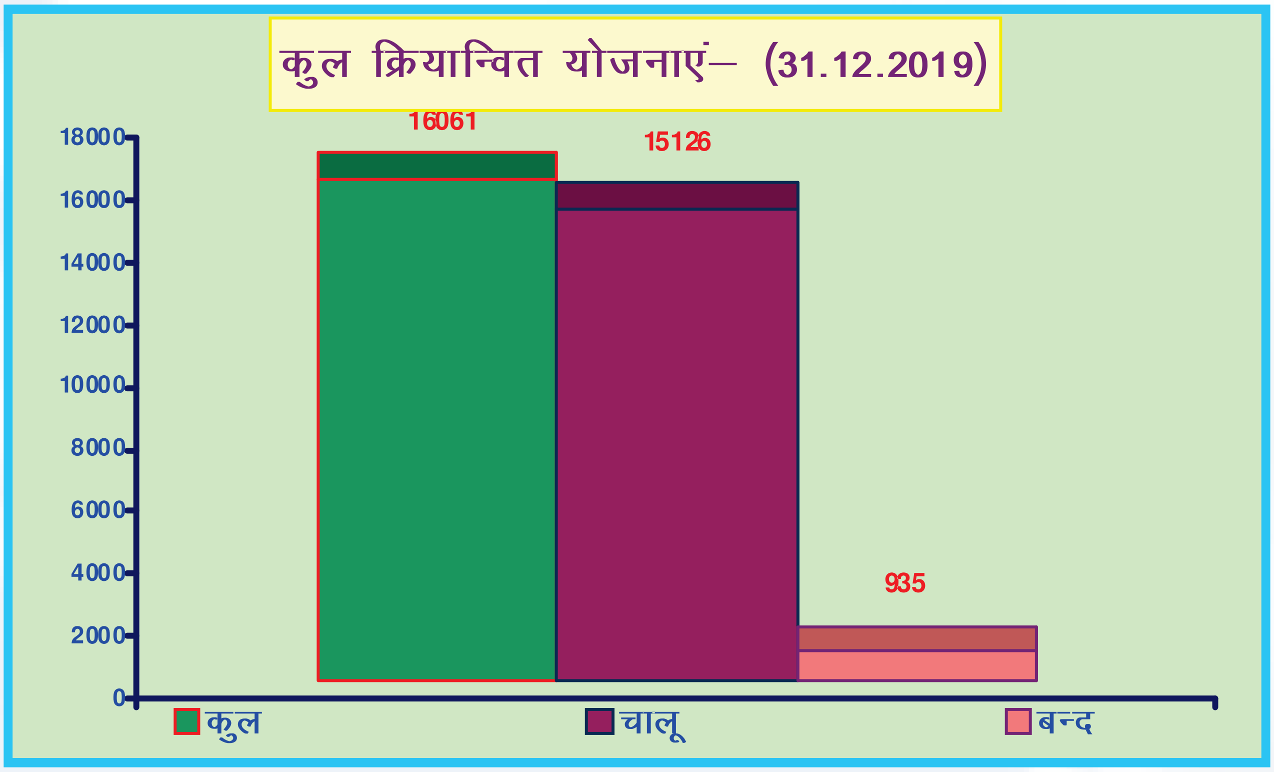

ग्राम पहाड़ी खेड़ा, विकासखण्ड पन्ना में स्थापित जल शोधन संयंत्र

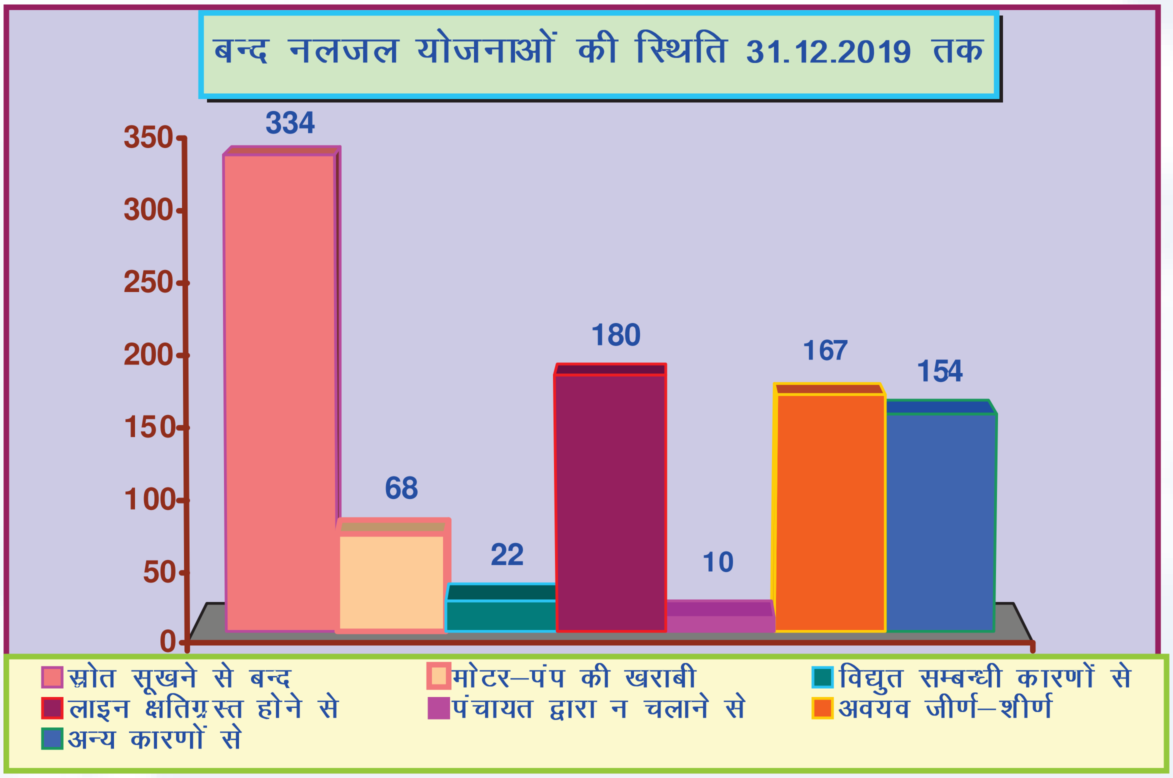

3.6 जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी :–

पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु स्रोतों के जल का परीक्षण कर उनके जल की गुणवत्ता का भी सतत् अनुश्रवण किया जाता है। इस कार्य हेतु राज्य स्तर से उपखण्ड स्तर तक पेयजल परीक्षण हेतु प्रयोगशालायें स्थापित की गई है।

3.7 लोक सेवा गारंटी

लोक सेवा प्रदाय गारन्टी अधिनियम–2005 के अन्तर्गत हैण्डपंप संधारण कार्य सहित जल गुणवत्ता परीक्षण के कार्य को भी सम्मिलित किया गया है।

3.8 गुणवत्ता प्रभावित पेयजल स्रोतों वाली बसाहटों की योजनाओं का विवरण:–

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत फ्लोराइड, खारापानी व लौह तत्व आदि जल गुणवत्ता समस्या से प्रभावित ग्रामों में शुद्ध पेयजल प्रदाय की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु कार्य किये जा रहे हैं। भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत बसाहटों में वैकल्पिक पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

दिनांक 01.04.2019 की स्थिति में 153 गुणवत्ता प्रभावित बसाहटें पाई गई थी। प्राथमिकता के आधार पर इन बसाहटों में विभाग द्वारा वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।

3.8.1 फ्लोरोसिस नियंत्रण :–

पेयजल में 1.5 मि.ग्रा./लीटर से अधिक फ्लोराइड की मात्रा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फ्लोराइड प्रदूषित पेयजल के निरंतर सेवन से फ्लोरोसिस बीमारी हो सकती है, जिसका प्रारंभिक अवस्था में बचाव किया जा सकता है। दिनांक 01.04.2019 की स्थिति में 6 जिलों की 143 बसाहटें फ्लोराईड के अधिक्य से प्रभावित थी जिनमें से 09 बसाहटों में पेयजल व्यवस्था वर्ष 2019–20 में की गई है तथा शेष बसाहटों में सुरक्षित पेयजल व्यवस्था किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

3.8.2 खारेपन के नियंत्रण की योजनाएं :–

पेयजल में कुल घुलित लवणों की अधिकतम स्वीकार्य सीमा 2000 मिलीग्राम प्रति लीटर (कोई अन्य स्रोत न होने की दशा में) है। पेयजल में उपरोक्त मात्रा से अधिक लवण होने पर पानी खारा हो जाता है।

दिनांक 01.04.2019 की स्थिति के अनुसार प्रदेश की 10 बसाहटों में खारेपन की अधिकता पाई गई है। इन सभी बसाहटों में वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है।

3.8.3 लौह तत्व की अधिकता का निराकरण :–

पेयजल में लौह तत्व की अधिकता होने से पानी लाल–भूरा हो जाता है एवं रंग के कारण अस्वीकार्य हो जाता है। पेयजल में लौहतत्व की अधिकतम स्वीकार्य सीमा 1 मिली ग्राम प्रतिलीटर है। प्रदेश में वर्तमान में लौह तत्व की अधिकता से प्रभावित बसाहट नहीं है।

3.9 भूजल संवर्धन एवं पुनर्भरण कार्यक्रम :–

प्रदेश में तेजी से बढ़ते शहरीकरण, औद्योगीकरण तथा कृषि के रकवे में हुई वृद्धि के फलस्वरूप भूजल का अत्यधिक उपयोग हो रहा है। इसी प्रकार विगत कुछ वर्षों से प्रदेश के विभिन्न अंचलों में असामान्य एवं असंतुलित वर्षा हो रही है। इन कारणों से भू–जल के स्तर में निरंतर गिरावट परिलक्षित हो रही है। भूजल के अत्यधिक दोहन से भूजल की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। गिरते भूजल स्तर एवं भूजल स्त्रोतों में उपलब्ध जल की मात्रा में आ रही कमी को दृष्टिगत रखते हुये भूजल संवर्धन एवं वर्षा जल पुनर्भरण के कार्य को करना अत्यंत आवश्यक है।

3.9.1 भूजल की उपलब्धता के आधार पर केन्द्रीय भू–जल बोर्ड द्वारा वर्ष 2016–17 में किये गये आंकलन के अनुसार प्रदेश के 24 जिलों के 22 विकास खंड अतिदोहित (Over-exploited), 7 विकासखण्ड दोहित (Critical) एवं 44 विकास खण्ड अर्द्धदोहित (Semi Critical) श्रेणी में हैं। इन विकास खंडों में भूजल स्तर में गिरावट को देखते हुये इसका संरक्षण एवं संवर्धन करना अत्यंत आवश्यक है। विकासखण्डों का श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	जिला	विकास खण्डों के नाम					
		क्र.	अतिदोहित	क्र.	दोहित श्रेणी	क्र.	अर्द्धदोहित श्रेणी
1	बड़वानी	1	पानसेमल			1	राजपुर
2	धार	2	बदनावर			2	तिरला
		3	धार				
		4	नालछा				

क्र.	जिला	विकास खण्डों के नाम					
		क्र.	अतिदोहित	क्र.	दोहित श्रेणी	क्र.	अर्द्धदोहित श्रेणी
3	इंदौर	5 6 7	इंदौर सांवेर देपालपुर			3	महू
4	मंदसौर	8 9	मंदसौर सीतामऊ	1 2	मल्हारगढ़ भानपुरा	4	गरोठ
5	रतलाम	10 11 12 13	जावरा पिपलोदा रतलाम आलोट			5 6	सैलाना बाजना
6	शाजापुर	14 15	मोमन बड़ोदिया शुजालपुर	3	कालापीपल	7	शाजापुर
7	उज्जैन	16 17 18	उज्जैन बड़नगर घटिया			8 9 10	महिदपुर खाचरौद तराना
8	देवास	19 20	देवास सोनकच्छ			11	खातेगांव
9	आगर	21 22	नलखेड़ा सुसनेर			12	बड़ोद
10	सतना					13 14 15	रामपुर बघेलान सोहावल मैहर
11	भोपाल					16	फंदा
12	बैतूल					17 18	बैतूल मुलताई
13	छिन्दवाड़ा					19 20	छिंदवाड़ा पांढुरना
14	छतरपुर					21 22 23	छतरपुर नौगांव बक्सवाहा
15	खरगौन					24	खरगौन
16	खंडवा					25	छेगॉव माखन
17	नीमच			4 5	जावद नीमच	26	मनासा
18	सीहोर					27	आष्टा
19	राजगढ़			6 7	नरसिंहगढ़ सारंगपुर	28 29 30	खिलचीपुर ब्यावरा जीरापुर

क्र.	जिला	विकास खण्डों के नाम					
		क्र.	अतिदोहित	क्र.	दोहित श्रेणी	क्र.	अर्द्धदोहित श्रेणी
20	शिवपुरी					31	खनियाढाना
						32	नरवर
						33	बदरवास
						34	पिछौर
21	टीकमगढ़					35	बल्देवगढ़
						36	निवाड़ी
						37	टीकमगढ़
						38	पलेरा
						39	जतारा
22	सागर					40	बंडा
23	दमोह					41	पथरिया
						42	बटियागढ
24	रायसेन					43	ओब्दुल्लागंज
						44	सांची

3.9.2 वर्तमान में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत नवीन भूजल संवर्धन संरचनाओं के निर्माण हेतु राशि उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। विभाग द्वारा नवीन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु योजनायें तैयार कर क्रियान्वयन हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से राशि प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव प्रेषित किया गया है एवं जल शक्ति मंत्रालय को भी प्रस्ताव प्रेषित किये जाने हेतु निर्माणाधीन है।

3.9.3 भूजल पुनर्भरण हेतु योजना निर्मित करने के लिए ग्राम में स्थल चयन के लिए संबंधित जानकारी जैसे वाटरशेड, भूगर्भीय चट्टान, मृदा, भौगोलिक परिस्थिति, लिनियामेंट आदि की जानकारी सरलता से उपलब्ध कराने हेतु ड ।च्.प्ज् से ळप्ै के आधार पर विभाग द्वारा वेवसाईट विकसित कराई गई है। इस कार्य से प्रदेश के सभी जिलों में भूजल पुनर्भरण हेतु ग्राम में स्थित तालाब/नदी नाले की स्थिति एवं तालाब के क्षेत्रफल के आधार पर रिचार्ज शाफ्ट हेतु स्थल चयन का निर्धारण किया जा रहा है, उपरोक्त तकनीकी का प्रयोग कर 1235 योजनाओं की 32 करोड़ लागत के रिचार्ज शाफ्ट निर्माण की योजना तैयार की गई है। इन योजनाओं में भूजल संवर्धन की वृद्धि का आंकलन हेतु पीजोमीटर का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है।

3.9.4 मेप आईटी द्वारा विकसित वेबसाईट में पेयजल स्त्रोत एवं पुनर्भरण संरचना को चिन्हित करने एवं साथ ही Real Time Monitoring System विकसित किया जा रहा है।

3.9.5 भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय द्वारा अतिदोहित विकासखण्डों में पेयजल स्त्रोतों की सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित करने हेतु प्रारंभ की गई योजना के अंतर्गत जिला उज्जैन के विकासखण्ड उज्जैन मे नरवर माइक्रो वाटरशेड तथा जिला धार के विकासखण्ड धार में जैतपुरा माइक्रो वाटरशेड में केन्द्रीय भूजल बोर्ड के तकनीकी सहयोग से कार्य किये गये हैं। जिनके परिणाम स्वरूप जल स्तर एवं कृषि क्षेत्र में वृद्धि परिलक्षित हुई है।

3.9.6 जल सहायता संगठन अंतर्गत पदस्थ विभागीय भूजलविद को ग्रामीण क्षेत्र में नलजल योजना के स्त्रोत

सर्वेक्षण के लिए भू–भौतिकी सर्वे हेतु आवश्यक डिजिटल रजिस्टिविटी मीटर (जी.पी.एस. सहित) मण्डल स्तर पर उपलब्ध कराये गये हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक जल क्षमता के स्त्रोत प्राप्त हुए हैं एवं सफलता के प्रतिशत में भी वृद्धि हुई है।

3.9.7 एन. आर. एस. सी. हैदराबाद द्वारा प्रदेश ग्राउड वॉटर क्वालिटी मैप्स का निर्माण पूर्ण किया गया, जिनका उपयोग जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र में योजनाएं बनाने में किया जा रहा है।

3.9.8 प्रदेश में भूजल स्तर में गिरावट को रोकने एवं भूजल स्त्रोतों पर बढ़ते हुए दबाव को कम करने के लिए अन्य विभागों के समन्वय से निम्नांकित दिशा में कार्यवाही की जा रही है :–

- जल संसाधन संबंधी सार्वजनिक स्त्रोतों का विस्तृत डाटा बेस बनाना।
- प्रदेश में भूजल विकास की गतिविधियों को और अधिक गति देना।
- जहाँ भूमिगत जल का भारी दोहन हुआ है, उन इलाकों पर विशेष जोर देते हुए भूमिगत जल पुनर्भरण को बढ़ावा देना।
- कुशल जल वितरण तंत्र और प्रबंधन के विकास की योजना बनाना।
- जल के बेहतर प्रबंधन अभ्यासों जैसे बेहतर हिसाब–किताब रखना, भूमिगत जल का नियंत्रित दोहन और जल का पुनर्चक्रण करना, इत्यादि को बढ़ावा देना।
- भूजल पुनर्भरण योजनाओं के अंतर्गत जन सहभागिता से संरचनाओं का निर्माण एवं रख–रखाव की अनिवार्यता।
- सतही वर्षा जल के संरक्षण एवं भूजल के संवर्धन एवं पुनर्भरण तथा प्रबंधन हेतु एकीकृत ठोस कार्यवाही।
- सतही जल का अधिकतम उपयोग कृषि एवं औद्योगिक उपयोग हेतु किया जाकर भूजल पर निर्भरता कम करना।
- परम्परागत जल स्त्रोतों और भूमिगत जल पुनर्भरण संरचनाओं को पुनर्जीवित करना।
- संबंधी शोध और विकास पर जोर देना।

3.10 विभागीय नलकूप खनन मशीनों का विवरण :–

ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था हेतु नलकूपों का खनन, विभागीय रूप से, विभागीय रिगों द्वारा सम्पादित किया जाता है। ग्रामों में मुख्य मंत्री ग्रामीण नलजल योजनाओं तथा अन्य नलजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु भी नलकूप खनन के कार्य विभागीय रिगों द्वारा सम्पादित किए जाते हैं। उपलब्ध विभागीय मशीनों की क्षमतानुसार वर्ष में लगभग 9400 नलकूप खनन किये जा सकते हैं। वर्ष 2019–20 में उपलब्ध लक्ष्य 2936 के विरूद्व जनवरी 2020 तक कुल 5834 नलकूपों का खनन किया गया है, इसमें नलजल योजनाए एवं निक्षेप आदि के कार्य भी सम्मिलित हैं। वर्ष 2019–20 में जनवरी 2020 तक 373 कम आवक क्षमता वाले नलकूपों के पुनर्जीवीकरण का कार्य भी विभागीय हाईड्रोफ्रेक्चरिंग इकाइयों का उपयोग कर किया गया है। विभागीय रिग मशीनों से कुल 1232 नलकूपों की सफाई का कार्य किया गया है। विभाग में उपलब्ध यील्ड टेस्ट इकाइयों के द्वारा नलजल योजना हेतु 371 नलकूपों का यील्ड टेस्ट भी किया गया है।

नलकूप खनन हेतु विभाग में कुल 81 विभागीय खनन मशीनें उपलब्ध हैं, जिनमें 75 डी.टी.एच. रिग, 02 रोटरी रिग तथा 4 काम्बीनेशन मशीनें हैं। जिलों की भू–सरंचना को दृष्टिगत रखते हुए डी.टी.एच. रिग पथरीले इलाके में साधारण नलकूप, रोटरी रिग मशीनें मिट्टी व रेतीले स्ट्रेटा में ग्रैवल पेक नलकूप तथा काम्बीनेशन रिग मिश्रित स्ट्रेटा के क्षेत्र में नलकूप खनन करने के लिए प्रयुक्त होती हैं। वर्तमान में 5 हाईड्रोफ्रेक्चरिंग मशीनें जल आवक क्षमता बढाने एवं 5 यील्ड टेस्ट यूनिट जल आवक क्षमता परीक्षण के लिए विभाग में उपलब्ध हैं। वर्ष 2018–19 में 04 नवीन काम्बीनेशन मशीनों के क्रय का प्रस्ताव विभाग द्वारा तैयार कर शासन से अनुमोदन प्राप्त किया गया है, इन मशीनों के क्रय की आगामी कार्यवाही प्रचलन में है।

इन मशीनों में काम्बीनेशन (ग्रेवल पैक+डी.टी.एच.) तथा ऑडेक्स ड्रिलिंग के माध्यम से सफलतापूर्वक नलकूप खनन की क्षमता है।

विभागीय मशीनों द्वारा यील्ड टेस्ट इकाइयों के माध्यम से यील्ड टेस्ट

विभागीय मशीनों द्वारा यील्ड टेस्ट इकाइयों के माध्यम से यील्ड टेस्ट

- **विभागीय ड्रिलिंग मशीनों द्वारा विगत तीन वर्षों में किये गए कार्यो की प्रगति :–**

वर्ष	निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धि	सफल नलकूपों की संख्या
2017–18	5896	9503	8397
2018–19	3200	7557	6524
2019–20 (जनवरी, 2020 तक)	2936	5834	5038

नोटः– निर्धारित लक्ष्यों के अतिरिक्त जिलों की नलजल योजनाओं के स्त्रोत निर्माण सहित निक्षेप आदि मद में किये गये कार्य उक्त उपलब्धि में सम्मिलित हैं।

- वर्ष 2019–20 तक शासन द्वारा अनुपयोगी मशीनों एवं संयंत्रों हेतु गठित अपलेखन समिति द्वारा अद्यतन 60 मशीनों का अपलेखन हेतु अनुशंसा की गई थी, जिनमें से 57 मशीनों का अपलेखन किया जाकर रू. 126.53 लाख का राजस्व प्राप्त हो चुका है, शेष 03 मशीनों की कार्यवाही प्रगतिरत है जिनसे अपलेखन पश्चात मूल्य रुपये 05.15 लाख का राजस्व प्राप्त होना सम्भावित है। इस वर्ष में रीवा खण्ड की एक मशीन कॉप–4/17 का भी नियमानुसार अपलेखन किया जाकर रू. 2.33 लाख का राजस्व प्राप्त हो चुका है।

- **विशेष उपलब्धि** :– पंचायत राज संचालनालय , मध्यप्रदेश ने शासकीय विद्यालयों के उन्नयन हेतु पेयजल की व्यवस्था के संबंध में हैण्डपम्प खनन/स्थापना हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को ग्रामीण क्षेत्र में स्थित 2776 पेयजल स्त्रोत विहिन शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों की सूची मय प्रशासकीय स्वीकृति एवं आवंटन उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें 2122 स्त्रोत विहिन शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में नलकूप खनन कार्य किया जाकर शालाओं में पेयजल उपलब्ध करवाया गया है।
- **विभागीय वाहनों की जानकारी** :– विभाग के मेकेनिकल खण्ड भोपाल के अन्तर्गत वर्ष 1991 के बाद के 21 निरीक्षण वाहन उपलब्ध हैं, जो भोपाल मुख्यालय में स्थित प्रमुख सचिव, प्रमुख अभियंता एवं मुख्य अभियंता कार्यालयों के अधिकारियों को आवंटित हैं। प्रदेश के अन्य जिलों में आवश्यकतानुसार निरीक्षण वाहन किराये पर लिये जाते हैं।

3.11 राज्य जल सहायता संगठन :–

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **''राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम''** के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 01 अप्रैल 2009 से प्रभावी तथा माह अगस्त 2013 में संशोधित मार्गदर्शिका में दिए गये निर्देशानुसार प्रदेश में **''राज्य पेयजल मिशन''** के अंतर्गत **''जल सहायता संगठन''** कार्यरत है। इस संगठन के अंतर्गत सहायक गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाता है, जिसमें मुख्यतः मानव संसाधन विकास, सूचना शिक्षा एवं संचार, जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी, सूचना प्रबंधन प्रणाली का विकास, अनुसंधान एवं विकास जैसी गतिविधियों का संचालन किया जाता है। जल सहायता संगठन के अंतर्गत संविदा आधार पर स्वीकृत एवं भरे हुये पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	पद का नाम	स्वीकृत पद	स्वीकृत पदों के विरुद्ध भरे गये पद
अ. राज्य स्तर			
1.	संचालक, जल सहायता संगठन	1 पद	1 पद
2	अधीक्षण यंत्री (राज्य समन्वयक) एक पद	1 पद	–
3	कार्यपालन यंत्री	1 पद	1 पद
4	सहायक यंत्री	1 पद	1 पद
5	उपयंत्री	1 पद	1 पद
6	राज्य स्तरीय सलाहकार (मानव संसाधन विकास एवं सूचना, शिक्षा एवं संचार)	1 पद	–
7.	राज्य स्तरीय सलाहकार (भूजलविद्)	1 पद	1 पद
8.	राज्य स्तरीय सलाहकार (अनुश्रवण एवं मूल्याकंन)	1 पद	–

क्र.	पद का नाम	स्वीकृत पद	स्वीकृत पदों के विरुद्ध भरे गये पद
9.	राज्य स्तरीय सलाहकार (जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी)	1 पद	1 पद
10.	लेखापाल	1 पद	–
11	डाटा इंट्री आपरेटर	1 पद	1 पद
ब. जिला स्तर			
1.	जिला स्तरीय सलाहकार (मानव संसाधन विकास)	50 पद	31 पद
2.	जिला स्तरीय सलाहकार (सूचना, शिक्षा एवं संचार)	50 पद	39 पद
3.	जिला स्तरीय सलाहकार (भूजलविद्)	50 पद	19 पद
4.	जिला स्तरीय सलाहकार (अनुश्रवण एवं मूल्याकंन)	50 पद	15 पद
स. विकासखण्ड स्तर			
1.	विकासखण्ड स्तरीय संयोजक (तकनीकी)	313 पद	238 पद
	कुल पद	**524 पद**	**349 पद**

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के गुणवत्ता नियंत्रण इकाई खंड को अनुसंधान एवं विकास इकाई के रूप में मान्य किया गया है। राज्य तकनीकी एजेंसी (State Technical Agency) का चयन एवं विभागीय योजनाओं के परीक्षण, स्वीकृति एवं क्रियान्वयन हेतु समन्वय भी इस संगठन द्वारा किया जाता है। राज्य तकनीकी एजेंसीज (एस.टी.ए.) के रूप में मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एम.ए.एन.आई.टी.), भोपाल, म. प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (मैप कास्ट), भोपाल, श्री गोविन्दराम सेक्सेरिया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एस.जी.एस.आई.टी.एस.), इंदौर को चयनित किया गया है।

3.11.1 सहायक गतिविधियॉं :–

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली कुल राशि का 5 प्रतिशत राशि सहायक गतिविधियों के लिये निर्धारित है। इसके अन्तर्गत जल सहायता संगठन के द्वारा मुख्य रूप से संपादित की जाने वाली सहायक गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है :–

- **मानव संसाधन विकास गतिविधियां** : मानव संसाधन विकास के अंतर्गत, विभाग के कार्यालयीन एवं अन्य मैदानी अमले का क्षमतावर्धन, विभिन्न विभागों के साथ समन्वय तथा पंचायती राज्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों की क्षमतावर्धन एवं उन्मुखीकरण कर उन्हें विभागीय गतिविधियों से जोड़ा जाता है।

विभागीय प्रशिक्षण आवश्यकताओं के अनुरूप वार्षिक प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार कर तद्नुसार विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों एवं पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों का प्रशिक्षण राज्य स्तर, परिक्षेत्र स्तर, मंडल स्तर, जिला स्तर एवं विकासखण्ड स्तर तक किया जाता है।

सहायक गतिविधियों के अन्तर्गत जमीनी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम–जिला मन्दसौर

मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 20 जनवरी 2015 के अनुसार पेयजल उप समिति के सदस्यों को पेयजल योजनाओं के संचालन एवं संधारण हेतु तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए कैस्केड मोड में प्रशिक्षित किया गया है। वर्ष 2019–20 में संपादित प्रशिक्षणों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1.	जिला स्तरीय कंसलटेंट का प्रशिक्षण	104
2.	विकासखंड स्तरीय समन्वयकों (तकनीकी) का प्रशिक्षण	234
3.	विभागीय अभियंताओं/ कर्मचारियों तथा अन्य विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण	14600
4.	पेयजल उप समितियों के सदस्यों का उन्मुखीकरण प्रशिक्षण	142920
5.	फील्ड टेस्टिंग किट के माध्यम से जल गुण ावत्ता परीक्षण हेतु मैदानी अमला/पंचायती राज सदस्यों का प्रशिक्षण	10500

- **सूचना शिक्षा एवं संचार गतिविधियां :–**

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों के प्रचार–प्रसार एवं शुद्ध पेयजल के उपयोग से लाभों की जानकारी को प्रदेश के सुदूर ग्रामीण अंचलों तक पहुँचाने के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियां संपादित की जाती हैं। इन गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर जिलाध्यक्ष, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की एक

समिति गठित की गई है। प्रचार–प्रसार गतिविधियों के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक, चलचित्र प्रसारण, जागरूकता रथ का भ्रमण, रेडियो/केबल टी. व्ही. का प्रसारण, ग्रामीण सहभागिता आंकलन (पी.आर.ए.), होर्डिंग्स, नारा लेखन, ग्राम सभा, वार्ड सभा इत्यादि कार्य किये जाते हैं।

ग्रामवासियों से ग्राम के सर्वागीण विकास व आदर्श पेयजल योजना संचालन के लिए आयोजित चौपाल चर्चा– ग्राम रतन पिपल्या, विकासखंड मल्हारगढ, जिला– मन्दसौर

इस वर्ष प्रदेश के सभी जिलों में सूचना शिक्षा एवं संचार गतिविधियों के अंतर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित गतिविधियाँ संपादित की गई हैं :–

क्र.	गतिविधियाँ	संख्या
1	जिला स्तरीय कार्यशाला	118
2	विकासखंड स्तरीय कार्यशाला	375
3	मेला/प्रदर्शनी आयोजन	328
4	आई.ई.सी. वेन/रथ	436
5	होर्डिंग/बैनर/पोस्टर्स	2032
6	दीवार लेखन	4067
7	रेडियो/केबिल प्रसारण व एस.एम.एस.	1620
8	ग्राम सभा/ग्रुप मीटिंग	522
9	स्कूल रैली/वाद–विवाद एवं निबंध लेखन प्रतियोगिताएं	3105
10	चलचित्र प्रसारण	1370
11	आई.ई.सी./गृह भेंट	9458
12	नुक्कड़ नाटक/गायन एवं नाट्य कार्यक्रम	2610
13	पी.आर.ए.	1985
14	उद्घोषणा (पी.ए. सिस्टम द्वारा)	14789
15	ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (V.W.S.C.) का गठन	8266

सहायक गतिविधियों के अन्तर्गत ग्रामीण जनों को पेयजल संवर्धन एवं संरक्षण हेतु जागरुक करने हेतु विधिक सहायता शिविर/मेला कार्यक्रम का आयोजन – जिला मुरैना

सूचना शिक्षा एवं संचार गतिविधियों के अंतर्गत स्कूल रैली–जिला शाजापुर

प्रचार–प्रसार गतिविधियों को आवश्यकतानुसार गैर सरकारी संस्थाओं (एन.जी.ओ.) के माध्यम से भी कराया जाता है। प्रचार–प्रसार गतिविधियों में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के लिए अभिरूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित कर राज्य स्तर से अशासकीय सरकारी संस्थाओं (एन.जी.ओ.) को सूचीबद्ध (इम्पेनलमेंट) किया गया है। दिनांक 31.12.2019 की स्थिति में कुल 106 अशासकीय संस्थाएं (एन.जी.ओ.) पंजीबद्ध हैं।

सूचना शिक्षा एवं संचार गतिविधियों के अंतर्गत ऑडियो विजुअल शो, ग्राम बोलाई, विकासखण्ड शाजापुर

- **अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां :–**

  ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सहायक गतिविधियों के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का प्रावधान किया गया है। म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (मैपकास्ट) भोपाल एवं बिड़ला इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड साइंस (BITS), राँची के सहयोग से हाइड्रोजियोमॉर्फोलॉजीकल मैप्स (एच.जी.एम.नक्शों) को अद्यतन किया जा रहा है, जिसमें वाटर क्वालिटी लेयर को भी अंकित किया जा रहा है।

3.11.2 जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम :–

पेयजल की गुणवत्ता के महत्व को देखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली कुल राशि का पांच प्रतिशत राशि जल गुणवत्ता अनुश्रवण व निगरानी कार्यक्रम के लिये निर्धारित की गई है। इसके अन्तर्गत विभाग द्वारा वर्ष 2019–20 में निम्नानुसार महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित किये गये :–

- ग्रामीण क्षेत्रों में विभाग द्वारा प्रदाय किये जा रहे जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित हैं। प्रदेश में 55 जिला स्तरीय तथा 100 उपखण्ड स्तरीय प्रयोगशालाएं एवं राज्य मुख्यालय पर राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित हैं, जिनमें पेयजल स्त्रोतों के नियमित जलपरीक्षण किये जाते हैं।

जिला प्रयोगशाला शाजापुर द्वारा सम्पादित, जिले के स्कूल शिक्षकों, स्कूल और कालेजों के छात्र–छात्राओं के लिये आउटरीच उन्मुखीकरण कार्यक्रम

- जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं में 300 परीक्षण प्रतिमाह के मान से कुल 198000 एवं उपखंड स्तरीय प्रयोगशालाओं में 200 परीक्षण प्रतिमाह के मान से कुल 240000 जल नमूनों के परीक्षण का लक्ष्य वर्ष 2019–20 में निर्धारित है। जिसके विरूद्व जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं द्वारा 129772 एवं उपखंड स्तरीय प्रयोगशालाओं द्वारा 190333 पेयजल नमूनों का परीक्षण किया गया है।

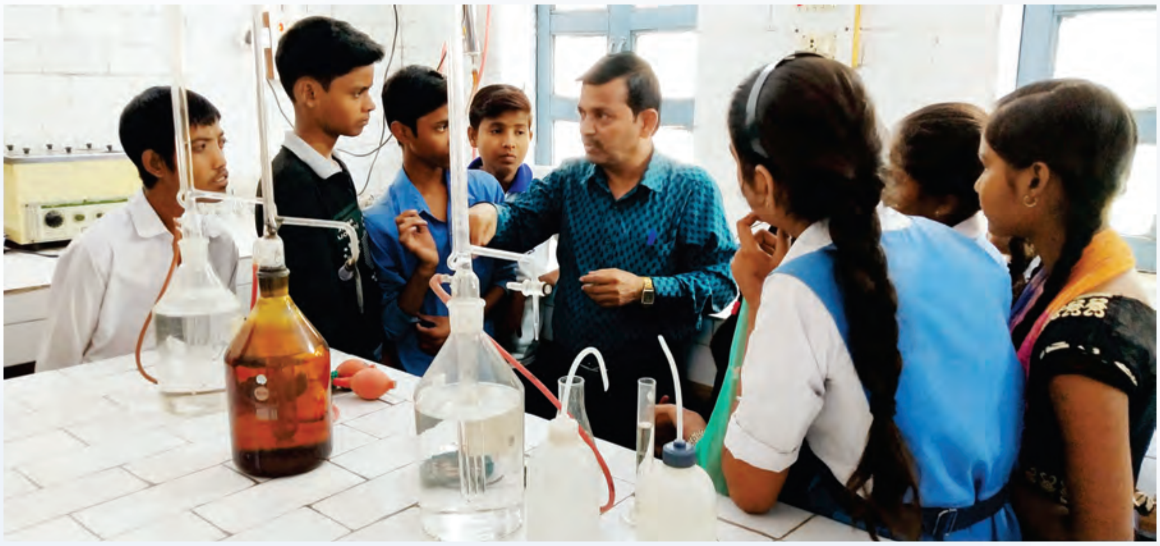

जिला प्रयोगशाला मुरैना द्वारा सम्पादित, जिले के स्कूल शिक्षकों, स्कूल और कालेजों के छात्र–छात्राओं के लिये आउटरीच उन्मुखीकरण कार्यक्रम

- भारत सरकार द्वारा जल की पीने के लिये उपयुक्तता के आंकलन हेतु 14 घटकों का परीक्षण किया जाना निर्धारित किया गया है। ये घटक हैं –

  1. मटमैलापन, 2. पी.एच., 3. आर्सेनिक, 4. हार्डनेस, 5. क्लोराइड, 6. क्षारीयता, 7. टी.डी.एस, 8. फ्लोराइड, 9. आयरन, 10. नाईट्रेट, 11. सल्फेट, 12. मैंगनीज, 13. कॉलीफार्म एवं 14. ई–कोलाई परीक्षण।

जिला स्तरीय पेयजल परीक्षण प्रयोगशाला मुरैना में पेयजल जल नमूनों का नियमित परीक्षण

- फील्ड टेस्ट किट एवं H2S वायल के माध्यम से वर्ष 2019–20 में 453637 पानी के नमूनों की जॉच मैदानी कार्यकर्ताओं द्वारा की गई।
- राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला में जिलों से प्राप्त जल नमूनों का प्रति परीक्षण किया जाता है, साथ ही यहाँ सीवेज, जल उपचार में उपयोग में लाये जाने वाले रसायनों की गुणवत्ता एवं पेयजल के उपचार संबंधी परीक्षण भी किये जाते हैं। यहां पर विभागीय रसायनज्ञों एवं प्रयोगशाला सहायकों के लिये जल परीक्षण संबंधी सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक पहलुओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं।

राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल द्वारा सम्पादित, जिले के स्कूल शिक्षकों, स्कूल और कालेजों के छात्र–छात्राओं के लिये आउटरीच उन्मुखीकरण कार्यक्रम

- वर्ष 2019–20 में 15200 पेयजल स्त्रोतों का स्वच्छता निरीक्षण किया गया, जिससे पेयजल स्त्रोतों के उचित रखरखाव में सहायता मिली।

राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल में पेयजल नमूनों का नियमित प्रति परीक्षण कार्य

भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारियों द्वारा राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल का भ्रमण

- राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल व जिला प्रयोगशाला रतलाम का एन.ए.बी.एल. प्रमाणीकरण हो चुका है। प्राथमिक स्तर पर 13 जिला प्रयोगशालाओं के प्रमाणीकरण हेतु आवश्यक प्रशिक्षण आदि आयोजित किए जा रहे हैं। ये जिले सीहोर, भोपाल, बैतूल, धार, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर, मंदसौर, नीमच, छतरपुर, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर व शाजापुर हैं।

3.12 प्रशिक्षण कार्यक्रम :–

जल आपूर्ति तथा स्वच्छता प्रणालियों के सफल रूपांकन, कार्यान्वयन, परिचालन एवं रख–रखाव के लिये अद्यतन प्रचलित तकनीकों में दक्ष अधिकारियों/कर्मचारियों की उपलब्धता आवश्यक है। अतः विभाग के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों को जल आपूर्ति तथा सफाई–व्यवस्था के क्षेत्र में परिवर्धित तकनीकों तथा प्रबंधन दक्षता प्राप्त होना तथा समय–समय पर इसे अद्यतन करना और जलप्रदाय व स्वच्छता के क्षेत्र में हुए नवीनतम अनुसंधान एवं विकास से अवगत कराना आवश्यक है। इस हेतु वर्ष 2018–19 में कुल 477 एवं वर्ष 2019–20 में (माह दिसम्बर–2019 तक) कुल–144 अधिकारियों/कर्मचारियों को नामांकित किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष 2018–19 एवं वर्ष 2019–2020 में आयोजित प्रशिक्षण :–

संस्था का नाम	वर्ष 2018–19		वर्ष 2019–20 दिसम्बर–2019 तक		कुल	
	प्रशिक्षण संख्या	प्रशिक्षु	प्रशिक्षण संख्या	प्रशिक्षु	प्रशिक्षण संख्या	प्रशिक्षु
1	2	3	4	5	6	7
प्रशासन अकादमी भोपाल	14	318	08	60	22	378
इंजीनियरिंग स्टॉफ कॉलेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद	02	04	02	05	04	09
आपदा प्रबंधन संस्थान, भोपाल	02	23	01	12	03	35
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भोपाल	01	09	01	45	02	54
सेंटर फार स्किलिंग एण्ड टेक्निकल सपोर्ट (सीपेट), भोपाल	–	–	01	20	01	20
उद्यमिता विकास केंद्र (सेडमैप), भोपाल	02	110	–	–	02	110
पंडित कुंजीलाल दुबे संसदीय विद्यापीठ, भोपाल	02	13	–	–	02	13
पर्यावरण नियोजन संगठन (एप्को), भोपाल	–	–	01	02	01	02

उपरोक्तानुसार आयोजित प्रशिक्षणों में मुख्यतः निम्न विषयों पर अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया :–

1. नवनियुक्त सहायक यंत्रियों के लिये आधारभूत सह–उन्नयन प्रशिक्षण, Team Buldin Training, Direct Training Skill, Design of Training, PPP Contract Management, Transparency and Accountabilty – प्रशासन अकादमी, भोपाल।
2. Internet of Things (IOT) and Contact Management at E.S.C.I., Hyderabad
3. Application of Plastic Piping- CEPET, Bhopal.
4. Disaster Risk Reduction in Development Projects- आपदा प्रबंधन संस्थान, भोपाल

3.13 विभागीय कम्प्यूटरीकरण :–

विभागीय कार्यक्रमों तथा योजनाओं के क्रियान्वयन तथा प्रगति की समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग अत्यंत आवश्यक है। इस हेतु केन्द्र शासन तथा राज्य शासन द्वारा कार्यक्रमों के

क्रियान्वयन तथा उनकी प्रगति की सतत् निगरानी तथा समीक्षा हेतु निरंतर नये प्रयास, नये साफ्टवेयर का विकास किया जा रहा है। विभाग में भारत शासन तथा राज्य शासन एवं विभाग के विभिन्न साफ्टवेयर के माध्यम से विभागीय कार्यक्रम एवं योजनाओं की ऑनलाईन समीक्षा संभव हो सकी है। इस हेतु विभाग द्वारा विभिन्न स्तर के कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण तथा उसके आधुनिकीकरण का कार्य भी निरंतर किया जा रहा है।

भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा भी पेयजल योजनाओं की समीक्षा हेतु ऑन लाईन सॉफ्टवेयर का विकास किया गया है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभाग की समस्त योजनाओं की विस्तृत प्रगति/स्थिति का अनुश्रवण किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य शासन के विभिन्न ऑनलाईन सॉफ्टवेयरों जैसे– परख, मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, समाधान ऑनलाईन एवं लोक सेवा गारंटी इत्यादि में भी जानकारी उपलब्ध कराने का कार्य विभाग के विभिन्न कार्यालयों द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में प्रचलित नवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयरों का विभाग में समुचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु विभाग के विभिन्न कार्यालयों में स्थापित कम्प्यूटर हार्डवेयर को समय–समय पर अद्यतन तथा नये कम्प्यूटर हार्डवेयर का क्रय भी किया जाता है।

विभागीय कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत विभाग के कार्यालयों में निम्नानुसार कम्प्यूटर/हार्डवेयर आदि की सुविधा उपलब्ध कराई गयी है :–

- **प्रमुख अभियंता कार्यालय**

  प्रमुख अभियंता कार्यालय में प्रमुख अभियंता, प्रमुख अभियंता (सलाहकार), संचालक, (जल सहायता संगठन) एवं अन्य अधीनस्थ अधिकारियों तथा विभिन्न महत्वपूर्ण कक्षों में कम्प्यूटर तथा प्रिंटर स्थापित किये गये हैं। इनका उपयोग प्रदेश स्तरीय आंकड़ों के संकलन, विभागीय कस्टमाईज्ड साफ्टवेयर, भारत सरकार, राज्य शासन के विभिन्न ऑन लाईन सॉफ्टवेयर, ई–मेल से जानकारी के आदान–प्रदान एवं सामान्य पत्राचार के लिये आवश्यकता के अनुरूप किया जाता है। प्रमुख अभियंता कार्यालय में सभी कम्प्यूटर लोकल एरिया नेटवर्क एवं इन्टरनेट से जोड़े गये हैं। प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा विभागीय आवश्यकताओं के अनुसार एन.आई.सी. एवं अन्य संस्थाओं के सहयोग से सॉफ्टवेयर विकास का कार्य भी किया जा रहा है। विभाग में बजट आवंटन तथा व्यय के लेखा जोखा, मानव संसाधन से संबंधित कार्य का संधारण भी वित्त विभाग के ऑनलाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है।

- **परिक्षेत्र कार्यालय**

  विभाग के विभिन्न परिक्षेत्र कार्यालयों में कम्प्यूटर आवश्यक सॉफ्टवेयर के साथ, लेजर प्रिंटर एवं डॉट मेट्रिक्स प्रिंटर उपलब्ध कराये गये हैं। समस्त परिक्षेत्र कार्यालयों में इन्टरनेट की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। इसके अतिरिक्त आवश्यक यू.पी.एस. इत्यादि भी स्थापित किये गये हैं। परिक्षेत्र कार्यालयों द्वारा उनके अधीनस्थ मंडल तथा खंड कार्यालयों की वित्तीय तथा भौतिक प्रगति की समीक्षा उक्त कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा विभिन्न विभागीय सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाती है।

- **मंडल कार्यालय**

  विभाग के अंतर्गत मंडल कार्यालयों को भी आवश्यक सॉफ्टवेयर के साथ, इन्टरनेट कनेक्शन सहित कम्प्यूटर, प्रिंटर, यू.पी.एस. उपलब्ध कराये गये हैं। मंडल कार्यालय भी विभागीय कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा इन संसाधनों के माध्यम से कर रहे हैं।

- **खण्ड कार्यालय**

  कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत जिला स्तर के प्रत्येक खण्ड कार्यालयों को भी इन्टरनेट कनेक्शन सहित कम्प्यूटर, प्रिंटर के साथ–साथ यू.पी.एस. उपलब्ध कराये गये हैं। इसके अतिरिक्त जिला प्रयोगशालाओं हेतु भी कम्प्यूटर आवश्यक सॉफ्टवेयर के साथ उपलब्ध कराये गये हैं। खंड कार्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी के यथोचित संसाधनों की उपलब्धता के कारण विभिन्न ऑनलाईन सॉफ्टवेयर का उपयोग आवंटन एवं व्यय का लेखा जोखा रखना, वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की रिपोर्टिंग इत्यादि सरल एवं सहज हो गई है। इन्टरनेट, व्ही.पी.एन. इत्यादि सुविधाओं के कारण वित्त से संबंधित समस्त कार्य ऑनलाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से सम्पादित किये जा रहे हैं।

- **उपखण्ड कार्यालय**

  विभाग के विकास खण्ड स्तर पर स्थित उपखण्ड कार्यालयों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कम्प्यूटर, प्रिंटर तथा यू.पी.एस. उपलब्ध कराये गये हैं। प्रदेश में लागू लोक सेवा गांरटी अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु शासन की वेबसाइट पर आम नागरिक से प्राप्त आवेदनों की डाटा एन्ट्री करने तथा सेवा उपलब्ध करवाने की स्थिति की समीक्षा हेतु एक नग कम्प्यूटर, प्रिंटर, यू.पी.एस. इन्टरनेट कनेक्टीविटी के साथ पृथक से उपलब्ध करवाया गया है। विभाग के उपखंड स्तर के कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण भी दिलाया गया है।

- **राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला**

  राज्य अनुसंधान प्रयोग शाला भोपाल को भी कम्प्यूटर, यू.पी.एस. व प्रिंटर उपलब्ध कराये गये हैं। भारत सरकार के राष्ट्रीय जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम के ऑन लाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से पेयजल स्रोतों के जल की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग हेतु राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला को राज्य संदर्भ संस्थान बनाया गया है। जल गुणवत्ता से संबंधित विभिन्न परीक्षणों के ऑकड़ों के संधारण हेतु भी कम्प्यूटर का उपयोग किया जा रहा है।

- **विभागीय कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम**

  विभाग द्वारा विगत वर्षो में प्रमुख अभियंता कार्यालय, परिक्षेत्र कार्यालयों एवं जिला स्तर के खंड कार्यालयों एवं उपखंड कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को कम्प्यूटर की सामान्य जानकारी प्रशिक्षणों के माध्यम से दी गई है। भारत सरकार तथा प्रदेश के विभिन्न ऑनलाईन सॉफ्टवेयर में डाटा एन्ट्री करने तथा इनका उपयोग कर कार्य की समीक्षा करने हेतु भी, विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को भारत सरकार से सहायक गतिविधियों के अंतर्गत प्राप्त राशि से आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम समय–समय पर आयोजित किये गये हैं।

3.13.1 सूचना प्रौद्योगिकी :–

- **विभागीय वेबसाइट**

  लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की वेबसाइट www.mpphed.gov.in पर निम्न महत्वपूर्ण जानकारियॉं भी उपलब्ध कराई गई हैं :–

  - विभाग के उद्देश्य, दायित्व, संरचना व योजनाओं की जानकारी।
  - विभागीय कार्यक्रमों की भौतिक एवं वित्तीय जानकारी।

- सूचना के अधिकार 2005 की जानकारी, विभिन्न प्रपत्र एवं मैन्युअल ।
- विभाग द्वारा जनता को दी जाने वाली सेवाओं एवं पेयजल नमूनों के परीक्षण शुल्क की जानकारी ।
- तकनीकी व अन्य परिपत्र/निर्देश, विभिन्न स्तर के तकनीकी एवं वित्तीय अधिकार, आई.एस. कोड की सूची, विभागीय कार्यालयों के दूरभाष, आदि का विवरण।
- अधिकारियों/कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची।
- विभाग द्वारा आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं की जानकारी ।
- विभागीय फोरम।
- विभागीय उत्कृष्ट कार्यो के वीडियो, ऑडियो, छायाचित्र, सफलता की कहानियाँ, प्रचार–प्रसार सामग्री।
- अधीनस्थ कार्यालयों से पत्राचार की व्यवस्था ई मेल के माध्यम से की गई है जिससे अनावश्यक स्टेशनरी एवं डाक व्यय की बचत के साथ समय की भी बचत हो।
- विभाग में लागू दर–अनुसूचियां (SOR)

- **ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया**

  शासन के निर्देशानुसार विभाग में समस्त निविदाओं का आमंत्रण तथा निष्पादन ई–टेण्डरिंग के माध्यम से किया जा रहा है। इस हेतु मध्यप्रदेश शासन के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा चयनित सेवा प्रदायकर्ता के ऑनलाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ई–टेण्डरिंग का क्रियान्वयन किया जा रहा है। विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा पंजीकृत ठेकेदारों को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया का क्रियान्वयन करने हेतु अनुबंधित फर्म के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया है।

- **विभागीय प्रगतिरत योजनाओं की समीक्षा हेतु सॉफ्टवेयर का विकास (वर्क मॉनिटरिंग सिस्टम):–**

  विभाग द्वारा विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगतिरत पेयजल योजनाओं के प्रगति तथा वास्तविक स्थिति की त्वरित समीक्षा हेतु मैप आईटी के माध्यम से एक सॉफ्टवेयर तथा मोबाइल एप्लीकेशन का विकास किया जा रहा है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के साथ–साथ देयक निर्माण का कार्य तथा किये गये कार्य का सत्यापन भी किया जाना संभव हो सकेगा।

- **पेयजल सुविधा सॉफ्टवेयर :–**

  विभाग द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित विभिन्न पेयजल योजनाओं की स्थिति तथा इनसे संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु एन.आई.सी. के माध्यम से पेयजल सुविधा ऑनलाईन सॉफ्टवेयर का विकास किया जा रहा है। इस सॉफ्टवेयर में पेयजल योजना के समस्त अवयवों की प्रविष्टि की जाकर उनकी स्थिति की तथा उनमें आने वाली रुकावटों/खराबी की शिकायतों की समीक्षा तथा निवारण किया जा सकेगा। इस पोर्टल का उपयोग आम नागरिको के साथ–साथ विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा भी किया जा सकेगा।

3.14 नगरीय पेयजल कार्यक्रम :–

3.14.1 कार्यक्रम और उपलब्धियां :–

वर्तमान में प्रदेश की केवल 2 जल प्रदाय योजनाओं क्रमशः सीधी एवं झाबुआ को छोडकर शेष सभी नगरीय योजनाऐं संबंधित नगरीय निकायों द्वारा संचालित– संधारित की जा रही हैं।

3.14.2 सामान्य नगरीय जलप्रदाय योजना कार्यक्रम :–

नगरीय जल प्रदाय योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत छिन्दवाड़ा शहर की पेंचव्हेली समूह जल प्रदाय योजना का क्रियान्वयन विभाग द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में उक्त योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सभी अवयवों के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं ।

3.14.3 निक्षेप मद में विभाग द्वारा क्रियान्वित नगरीय योजनाऐं :–

सागर जिले के औद्योगिक क्षेत्र सिदगुवां की जल प्रदाय योजना निक्षेप मद में विभाग द्वारा, लागत रुपये 1035.00 लाख की क्रियान्वित की जा रही है। योजना का कार्य प्रगति पर है ।

3.14.4 राष्ट्रीय नदी/झील संरक्षण योजना कार्यक्रम :–

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निक्षेप कार्य के रूप में विभाग द्वारा 2 योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिनकी कुल लागत राशि रूपये 9820.00 लाख है, योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	योजना का नाम	लागत रूपये लाख में
1	शिवपुरी झील संरक्षण योजना, जिला शिवपुरी	9200.00
2	चित्रकूट नदी संरक्षण योजना, जिला सतना	620.00

4. भाग–चार

मध्यप्रदेश जल निगम

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

1.1 प्रस्तावना

मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के आदेश क्रमांक– एफ 16–149/2012/2/34 भोपाल दिनांक 06 जून 2012 द्वारा प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरीय क्षेत्रों में समूह नलजल प्रदाय योजनाओं एवं नलजल विकास व उपचार के क्रियान्वयन, संचालन/संधारण एवं समन्वय के लिए ''मध्यप्रदेश जल निगम'' का गठन किया गया, जिसका पंजीयन कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत 9 जुलाई, 2012 को ''मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित'' के नाम से किया गया।

1.2 विभागीय संरचना

संचालक मण्डल –

1.	माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन	–	अध्यक्ष
2.	माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	–	उपाध्यक्ष
3.	माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास	–	उपाध्यक्ष
4.	माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास	–	उपाध्यक्ष
5.	मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन	–	उपाध्यक्ष
6.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग	–	संचालक
7.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	–	संचालक
8.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग	–	संचालक
9.	प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग	–	संचालक
10.	प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	–	संचालक
11.	प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	–	संचालक

1.3 मध्यप्रदेश जल निगम कार्यालय

मध्यप्रदेश जल निगम का पंजीकृत कार्यालय विन्ध्याचल भवन, भोपाल में स्थापित है। मध्यप्रदेश जल निगम के अंतर्गत मैदानी कार्यालय के रूप में परियोजना क्रियान्वयन इकाईयाँ क्रमशः भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, राजगढ़, शहडोल, सिवनी, पन्ना, टीकमगढ़, सतना, दमोह एवं जबलपुर की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त छिंदवाड़ा, बैतूल (मुलताई), मंदसौर एवं नीमच परियोजना क्रियान्वयन इकाईयाँ भी स्वीकृत हो चुकी है, जिनको स्थापित होना है।

मध्यप्रदेश जल निगम के मुख्यालय भोपाल स्थित कार्यालय एवं परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों हेतु स्वीकृत पदों की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत संख्या
1	प्रबंध संचालक	1
2	परियोजना निदेशक (प्रमुख अभियंता)	1
3	मुख्य महाप्रबंधक (मुख्य अभियंता)	2
4	महाप्रबंधक/उपमहाप्रबंधक (अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री)	17
5	मुख्य वित्तीय अधिकारी (संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा)	1
6	महाप्रबंधक (जन सहभागिता)	1
7	प्रबंधक (जन सहभागिता)	12
8	प्रबंधक (उप संचालक, कोष एवं लेखा)	12
9	प्रबंधक (सहायक यंत्री)	29
10	उपप्रबंधक (उपयंत्री)	53
11	कम्पनी सेक्रेटरी	1
12	चार्टर्ड एकाउण्टेंट	1
13	आई.टी.एक्सपर्ट	1
14	तकनीकी कंसलटेंट	1
15	मैनेजर लेखा	1
16	लेखापाल	17
17	निज सचिव/निज सहायक	6
18	कम्प्यूटर ऑपरेटर	49
19	भृत्य	68

1.4 निगम के प्रमुख उद्देश्य –

- राज्य के ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल पर्याप्त मात्रा में सुविधाजनक स्थान पर परिवार स्तर पर नल कनेक्शन द्वारा उचित वितरण व्यवस्था के साथ वर्ष भर उपलब्धता सुनिश्चित कराना।
- शहरी/नगरीय/ग्रामों की नलजल योजनाओं की परिकल्पना, रूपांकन, प्राक्कलन, निविदा प्रपत्र निर्माण, निविदाएं आमंत्रण, कार्यादेश, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण।
- भू–गर्भीय तथा सतही जल संसाधनों का संयुक्त (Conjunctive) उपयोग, सुनिश्चित करना।
- राज्य की ग्रामीण समूह नलजल योजनाओं का संचालन एवं संधारण सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पेयजल समितियों के गठन, उनमें जल के प्रति सामाजिक तथा पर्यावरणीय चेतना विकसित करने में सहयोग प्रदाय करना।
- नगरीय क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उत्सर्जित होने वाले जल मल के निकास एवं उपचार की योजनाओं का आकल्पन एवं क्रियान्वयन करना।
- उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बाह्य सहायता एवं ऋण सहित अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों जिसमें ऋण भी शामिल होगा, की व्यवस्था करना।
- पेयजल व्यवस्था से संबंधित प्रशिक्षण एवं शोध की व्यवस्था करना एवं इस हेतु राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थाओं से समन्वय करना।
- पेयजल प्रदाय योजनाओं एवं जल मल निकास योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित नीतिगत निर्णय हेतु राज्य स्तर पर शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करना।

2.0 विभागीय बजट वर्ष 2019–20

राशि की उपलब्धता

2.1 कम्पनी की अंशपूंजी राशि रू. 100.00 करोड़ है।

2.2 योजनाओं हेतु ऋण एवं व्यय

1. **ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि** – (RIDF-XIX) अंतर्गत 17 समूह जल प्रदाय योजनाए लागत रु. 983.33 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके अंतर्गत ऋण राशि रू. 835.80 करोड़ एवं राज्यांश रू. 147.53 करोड़ है।
2. **ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि** – (RIDF-XXII) अंतर्गत नाबार्ड द्वारा 04 समूह जल प्रदाय योजनाओं लागत रू. 352.15 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत ऋण राशि रू. 292.64 करोड़ एवं राज्यांश राशि रू. 59.51 करोड़ है।
3. **आर.आई.डी.एफ** – (XXIV) के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा 03 समूह जल प्रदाय योजनाऐं लागत रु. 788.21 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत ऋण राशि रु. 595.62 करोड़ एवं राज्यांश राशि रु. 192.59 करोड़ है।
4. **ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि** – (RIDF-XXV) के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा 04 ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं लागत रु. 235.23 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत ऋण राशि रु. 199.95 करोड़ एवं राज्यांश राशि रु. 35.28 करोड़ है।
5. वर्ष 2019–20 में नाबार्ड अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन पर दिनांक 20.02.2020 तक राशि रू. 316.31 करोड़ का व्यय हुआ।

2.3 खनिज क्षेत्र विकास निधि :–

वर्ष 2019–20 में खनिज क्षेत्र विकास निधि अंतर्गत 14 समूह जल प्रदाय योजनाऐं क्रियान्वित की जा रही है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन पर दिनांक 20.02.2020 तक राशि रु. 399.85 करोड़ का व्यय हुआ।

2.4 बाह्य वित्त सहायतित निधि (एन.डी.बी.) :–

वर्ष 2019–20 में न्यू डैवलपमेंट बैंक (एन.डी.बी.) के द्वारा वित्त पोषित 9 परियेाजनाओं हेतु 574.00 करोड़ का प्रावधान दिया गया है जिसमें से उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन पर दिनांक 20.02.2020 तक रू. 694.96 करोड़ की राशि व्यय हो चुकी है।

3.0 समूह जल प्रदाय योजनाएं

वर्तमान में मध्यप्रदेश जल निगम द्वारा सतही स्त्रोत आधारित समूह जलप्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अभी तक 58 समूह जलप्रदाय योजनाए क्रियान्वयन हेतु ली गई है। जिसमें प्रदेश के 16 जिलों के 805 ग्रामों की 11.45 लाख जनसंख्या को 1,31,983 घरेलू कनेक्शन के माध्यम से जलप्रदाय किया जा रहा है। अन्य 38 योजनाएं जो कि प्रदेश के 25 जिलों में क्रियान्वित हो रही है, उनके पूर्ण होने पर 3432 ग्रामों की 37,02,133 जनसंख्या को घरेलू कनेक्शन के माध्यम से जलप्रदाय संभव हो सकेगा।

3.1 नाबार्ड द्वारा RIDF अंतर्गत स्वीकृत 28 समूह जल प्रदाय योजनाओं में से योजनाओं में 14 पूर्ण एवं 14 योजनाओं का कार्य प्रगतिरत है।

3.2 बुन्देलखण्ड विकास विशेष पैकेज फेस–2 के अंतर्गत 03 समूह जल प्रदाय योजनाओं के कार्य पूर्ण किये जाकर जल प्रदाय प्रारंभ किया गया है।

3.3 खनिज क्षेत्र विकास निधि अंतर्गत 14 समूह जल प्रदाय योजनाओं के कार्य प्रगतिरत है।

3.4 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम / राज्य मद अंतर्गत 02 समूह जल प्रदाय योजनाओं में से 01 पूर्ण एवं 01 योजना का कार्य प्रगतिरत है।

3.5 बाह्य वित्तीय सहायतित परियोजना अन्तर्गत न्यू डेव्लपमेन्ट बैंक से 09 समूह जल प्रदाय योजनाओं के कार्य प्रगतिरत है।

3.6 जिला माईनिंग अंतर्गत 02 समूह जल प्रदाय योजनाओं के कार्य प्रगतिरत है।

3.7 समूह जल प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बाह्य वित्तीय सहायतित परियोजनाओं अतंर्गत जापान इंटरनेशल कॉपरेशन एजेंसी (JICA) से वित्तीय सहायता का प्रस्ताव राशि रू. 3000.00 करोड़ पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किया गया। जापान सरकार द्वारा परियोजना प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति उपरांत परियोजना प्रस्ताव के परीक्षण हेतु कंसलटेंट टीम नियुक्त कर दी गई है प्रस्ताव परीक्षणाधीन है।

मानपुर (उमरिया) समूह जलप्रदाय योजना– इन्टेकवेल

मानपुर (उमरिया) समूह जलप्रदाय योजना– इन्टेकवेल

नरहेला (मुरैना) समूह जलप्रदाय योजना– जल शुद्धिकरण संयंत्र

तलूनखुर्द (बड़वानी) जलप्रदाय योजना– घरेलू नल कनेक्शन

4.0 योजनओं का संचालन–संधारण

- योजनाओं का संचालन एवं संधारण का कार्य ग्राम स्तरीय टंकी तक निर्माण एजेन्सी द्वारा 10 वर्ष तक किया जा रहा है।
- ग्राम के अन्दर जल वितरण का कार्य, बिल वितरण एवं राजस्व वसूली का कार्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल के राजपत्र दिनांक 20 जनवरी, 2015 द्वारा गठित पेयजल उप समिति द्वारा किया जा रहा है।

5.0 प्रचार–प्रसार गतिविधियाँ:

- समूह जल प्रदाय योजनाओं के अन्तर्गत आने वाली ग्रामों के जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों में समूह जल प्रदाय योजनाओं के प्रति संवेदनशीलता एवं जागरूकता उत्पन्न करने हेतु ग्रामों में प्रचार–प्रसार एवं क्षमतावर्धन गतिविधियों का क्रियान्वयन जल सहायता संगठन के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है।
- क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के ग्रामों में ''मध्यप्रदेश ग्रामीण नल जल प्रदाय योजना के संचालन एवं संधारण नियम–2015'' के अनुसार पेयजल उपसमितियों का गठन किया जा रहा है।

स्कूल रैली / पुरुस्कार वितरण

मानपुर (उमरिया) समूह जलप्रदाय योजना–स्कूल रैली

ग्रामसभा का आयोजन समूह जलप्रदाय योजना–तलूनखुर्द (बड़वानी)

ग्रामसभा का आयोजन समूह जलप्रदाय योजना–तलूनखुर्द (बड़वानी)

ग्रामसभा का आयोजन, समूह जलप्रदाय योजना–पिपरझिरी

ग्रामसभा का आयोजन, समूह जलप्रदाय योजना–पिपरझिरी

5. भाग – पाँच
सामान्य प्रशासनिक विषय

1. न्यायालयीन प्रकरण :–

दिनांक 31.12.2019 तक विभाग से संबंधित विभिन्न न्यायालयों में प्रकरणों की संख्या निम्नानुसार है :–

क्रमांक	न्यायालय	31.12.2019 की स्थिति में प्रकरणों की संख्या
1	माननीय सर्वोच्च न्यायालय	48
2	माननीय उच्च न्यायालय	1316
3	माननीय माध्यस्थ अभिकरण	36
4	माननीय औद्योगिक न्यायालय	439
5	माननीय दावा अभिकरण	00
6	माननीय जिला न्यायालय	150
7	माननीय श्रम न्यायालय	30
	कुल योग	**2019**

2. स्थानान्तरण प्रकरण :–

दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 तक की अवधि में विभाग द्वारा प्रशासकीय एवं स्वयं के व्यय पर किये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण का विवरण निम्नानुसार है :–

श्रेणी	**कुल स्थानान्तरण**
प्रथम श्रेणी	19
द्वितीय श्रेणी	72
तृतीय श्रेणी	390

3. विभागीय पदोन्नतियां :–

वर्ष 2019–20 में कोई भी पदोन्नति नहीं दी गई है।

4. विभागीय जॉच प्रकरण :–

दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 की अवधि में लम्बित विभागीय जाँच प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार है:–

- प्रथम श्रेणी के 25 अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है (लोकायुक्त की अनुशंसा पर 07 विभागीय जांच प्रकरणों में 05 अधिकारियों पर एवं विभाग स्तर पर संस्थित 31 विभागीय जांच प्रकरणों में 20 अधिकारियों पर विभागीय जांच प्रचलित है)।
- द्वितीय श्रेणी के 35 अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है (लोकायुक्त की अनुशंसा पर 02 विभागीय जॉच प्रकरण में 02 अधिकारी पर तथा विभाग स्तर पर संस्थित 16 विभागीय जांच प्रकरणों में 33

अधिकारियों पर विभागीय जांच चल रही है)।

- तृतीय श्रेणी के 135 अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है (लोकायुक्त की अनुशंसा पर 02 विभागीय जांच में 22 उपयंत्रियों पर एवं विभाग स्तर पर संस्थित 27 विभागीय जॉच प्रकरणों में 113 अधिकारियों पर विभागीय जॉच चल रही है)।
- विभाग के 02 कार्यपालन यंत्री, (अभियोजन में) एवं 02 उपयंत्री विभागीय प्रकरण में निलम्बित हैं।

5. नियुक्तियाँ :—

वर्ष 2019—20 में कोई भी नियुक्ति आदेश जारी नहीं किये गये हैं।

6. सूचना का अधिकार :—

सूचना का अधिकार अधिनियम — 2005 की धारा 5 (1) एवं धारा 5 (2) के अनुसार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश के अन्तर्गत सूचना के अधिकार अधिनियम को सुचारू रूप से लागू करने के लिये विभिन्न स्तरों पर निम्नानुसार लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी नियुक्त हैं :—

कार्यालय का नाम	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी
1. शासन स्तर पर	अवर सचिव (स्था.) अवर सचिव (तक.)	— —	उप सचिव (तक.) उप सचिव (स्था.)
2. प्रमुख अभियंता कार्यालय स्तर पर	कार्यपालन यंत्री (सिविल)	आहरण एवं संवितरण अधिकारी (आहरण एवं संवितरण अधिकारी उपलब्ध न होने पर प्रमुख अभियंता द्वारा नामांकित कार्यपालन यंत्री)	अधीक्षण यंत्री (प्रशासन)
3. परिक्षेत्र स्तर पर	मुख्य अभियंता कार्यालय में पदस्थ कार्यपालन यंत्री (मुख्य अभियंता द्वारा नामांकित)	लेखा अधिकारी (लेखा अधिकारी पदस्थ न होने पर मुख्य अभियंता द्वारा नामांकित सहायक यंत्री)	परिक्षेत्र कार्यालय में पदस्थ अधीक्षण यंत्री
4. मंडल कार्यालय स्तर पर	कार्यपालन यंत्री अथवा अधीक्षण यंत्री द्वारा नामांकित सहायक यंत्री	मंडल अधीक्षक (मंडल अधीक्षक उपलब्ध न होने पर अधीक्षण यंत्री द्वारा नामांकित कर्मचारी)	मंडल के अधीक्षण यंत्री
5. जिला/खंड कार्यालय स्तर पर	संबंधित खंड के कार्यपालन यंत्री	संभागीय लेखापाल	संबंधित मंडल में पदस्थ अधीक्षण यंत्री
6. उपखंड स्तर पर	सहायक यंत्री	उपयंत्री (मुख्यालय में पदस्थ एवं कार्यपालन यंत्री द्वारा नामांकित)	कार्यपालन यंत्री (सम्बन्धित खंड कार्यालय में पदस्थ)

सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 में कुल 2087 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1951 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है, शेष 136 आवेदन निराकरण हेतु प्रक्रियाधीन हैं।

7. वर्ष 2019–20 में विधानसभा प्रश्नों आदि से सम्बन्धित कार्यों का विवरणः–

वर्ष 2019–20 में विधान सभा सत्रों की अवधि में माननीय विधायकों द्वारा पूछे गये विधान सभा प्रश्नों, ध्यानाकर्षण सूचनाओं एवं स्थगन प्रस्तावों से संबंधित विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	विषय	विधान सभा सत्र फरवरी 2019		विधान सभा सत्र जुलाई 2019		विधान सभा सत्र दिसम्बर 2019	
		कुल प्राप्त	उत्तर भेजे गये	कुल प्राप्त	उत्तर भेजे गये	कुल प्राप्त	उत्तर भेजे गये
1	विधान सभा प्रश्न	37	37	157	157	72	72
2	शून्यकाल की सूचनाएँ	0	0	0	0	05	05
3	ध्यानाकर्षण सूचनाएँ	13	13	13	13	02	02
4	स्थगन प्रस्ताव	0	0	0	0	0	0

6. भाग – छः
अभिनव योजनायें

1. मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम :–

विगत वर्षों से भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ग्रामीण पेयजल व्यवस्था हेतु सभी राज्यों को धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है किन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों हेतु धनराशि में कमी की गई है जिसके फलस्वरूप विभाग द्वारा किये जा रहे पेयजल कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, इस कमी की पूर्ति हेतु राज्य शासन द्वारा ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिये "राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम" प्रारम्भ किया गया है जिसका शत–प्रतिशत वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बसाहटों में पेयजल व्यवस्था हेतु कार्यों का क्रियान्वयन विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न पेयजल योजनाओं के माध्यम से बसाहटों का आच्छादन किया जाता है ताकि समुचित पेयजल व्यवस्था हेतु कार्य किये जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत नवीन नलजल योजना, नवीन हैण्डपंप स्थापना सहित समूह नलजल योजनाओं का संचालन एवं संधारण भी किया जा रहा है।

2 मुख्यमंत्री ग्राम नलजल योजना का क्रियान्वयन :–

प्रदेश में योजनाबद्ध रूप से ग्रामीण क्षेत्र में नलजल योजनाओं के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा वर्ष 2017–18 से **"मुख्यमंत्री ग्राम नलजल योजना"** के क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री नलजल योजना ग्राम झरकुआ, विकास खण्ड पन्ना में निर्मित उच्च स्तरीय पेयजल टंकी क्षमता 175 कि.ली., 12 मीटर स्टेजिंग

इस हेतु आवश्यक वित्तीय संसाधन राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत नलजल योजना घटक तथा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम से उपलब्ध कराये जा रहे है। योजना की प्रगति निम्नानुसार है :–

(राशि रूपये करोड़ में)

कुल स्वीकृत योजनायें		कार्य प्रारंभ		कार्य पूर्ण	शेष प्रगतिरत
संख्या	लागत	संख्या	लागत		
1482	1448.80	736	747.60	340	396

नलजल योजनाओं के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, भोपाल द्वारा तैयार की गई झॉकी का प्रदर्शन

3 स्वजल कार्यक्रम (समुदाय आधारित पेयजल योजना) :–

ग्रामीण पेयजल के क्षेत्र में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के उददेश्य से फरवरी 2018 में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वजल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। स्वजल कार्यक्रम को मांग के आधार पर (Community Driven) क्रियान्वित किया जाएगा। इसे मध्यप्रदेश के 8 आकांछी जिलों यथा– बड़वानी, छतरपुर, दमोह, गुना, खण्डवा, राजगढ़, सिंगरौली, विदिशा के कुल 50 विकासखण्डों में क्रियान्वियत किया जाना है। कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं संचालन संधारण ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामीण समुदाय व राज्य शासन के साथ मिलकर किया जाएगा। ग्रामीण समुदाय की भागीदारी योजना के निर्माण से लेकर संचालन संधारण तक सुनिश्चित की जाएगी। स्त्रोत के स्थायित्व के लिए वर्षा जल के संग्रहण एवं भूजल पुनर्भरण के कार्य भी साथ ही किए जाएंगे। कार्यक्रम के लिए केन्द्र शासन, राज्य शासन व ग्राम पंचायत की वित्तीय भागीदारी 45:45:10 के अनुपात में रहेगी। योजना निर्माण लागत की 10 प्रतिशत राशि हेतु अंशदान विधायक निधि, सांसद निधि, माइनिंग राशि, सी.एस.आर. निधि अथवा ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध 14 वें वित्त आयोग की राशि से किया जा सकेगा।

4 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (आम–जन की समस्याओं का निराकरण) :–

आमजन की समस्यों के त्वरित निराकरण हेतु मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शासन की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत विभाग की योजनाओं/कर्मचारियों से संबंधित शिकायतें दर्ज की जाती है। शिकायतों का निराकरण निर्धारित समयावधि में कराये जाने का कार्य विभाग द्वारा प्राथमिकता से किया जाता है। वर्ष 2019–20 में माह दिसम्बर, 2019 तक विभाग को सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से कुल 101577 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 88656 शिकायतों का संतुष्टि पूर्ण निराकरण कराया जा चुका है।

लोक सेवा प्रबन्धन विभाग द्वारा जारी विभागों की मासिक ग्रेड़िग में सीएम हेल्पलाइन के अन्तर्गत विभाग वर्ष 2019–20 में निरंतर "ए" ग्रेड प्राप्त किया है।

5. राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का क्रियान्वयन :–

लक्ष्य :–

'जल जीवन मिशन' सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जिसका लक्ष्य सभी घरों तक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि स्थानीय जल संसाधनों के सर्वांगीण प्रबंधन को बढ़ावा देना भी है। इस जल आपूर्ति कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते समय जल–स्त्रोतों का संरक्षण करके उन्हें सतत बनाने और जल के पुनः उपयोग की विधियों का प्रयोग करने जैसे उपायों की जरूरत पर ध्यान दिया गया है और इन्हें पहली बार योजना की रूप–रेखा का अनिवार्य हिस्सा बनाया गया है।

सड़क, बिजली, बैंक खाते, आवास, एलपीजी सिलेण्डर और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध कराने के बाद, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से 'जल' को देश की विकास–कार्यसूची के केन्द्र में स्थापित कर दिया है। उन्होंने ग्रामीण भारत में महिलाओं और बेटियों द्वारा प्रतिदिन मीलों पैदल चलकर पीने योग्य थोड़ा बहुत जल ढोकर लाने की शताब्दियों पुरानी प्रथा को दूर करने पर बल दिया। इस चुनौती को हल करने के लिये उन्होंने जल जीवन मिशन की घोषणा की है।

जल जीवन मिशन की जिला स्तरीय कार्यशाला–जिला धार

जल एक बुनियादी आवश्यकता है। पेयजल की सुनिश्चित उपलब्धता की कमी का प्रतिकूल प्रभाव, परिवारों और स्थानीय समुदायों दोनों पर पडता है। घर में पेयजल की सुविधा न होने पर लोगों, विशेषकर महिलाओं और बेंटियो को दूर–दूर से अपने घरों के लिए पानी लाने के लिए जाना पड़ता है और अपना समय व ऊर्जा नष्ट करने पर मजबूर होना पड़ता है। जल संकट की स्थिति में, सरकार/प्रशासन टैंकर, ट्रेन आदि के माध्यम से जल उपलब्ध कराने के लिए तात्कालिक उपाय करते हैं। इस सरकार ने जन–सामान्य के जीवन को आसान बनाने के लिए अनेंक उपाय किए है, इसलिए लोगों की अब यह स्वाभाविक अपेक्षा है कि सरकार उनके घरों में नल से जल पहुंचाएगी।

जिन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध नहीं है, वहां जल अंतरण, जल–शोधन तथा जल–वितरण की योजना बनानी होगी। जल आपूर्ति प्रणाली की योजना बनाते समय प्रचालन एवं रख–रखाव के पहलू पर सर्वाधिक ध्यान देना होगा। यह महत्वपूर्ण है कि जल आपूर्ति स्कीमों अपनी निर्धारित अवधि तक कार्य करती रहें। विशेषकर जल संकट–ग्रस्त इलाकों में यह सुनिश्चित करने के लिए कि सार्वजनिक निवेश व्यर्थ न हो, जल स्त्रोतो को सुदृढ़ करने की आवश्यकता होगी। जल गुणवत्ता प्रभावित गांवो में प्रोद्योगिकी नवाचारों पर काम करना होगा। यह आवश्यक होगा कि ग्रामीण समुदायों की सक्रिय सहभागिता से जिला और ग्राम स्तरीय कार्य योजनाएं तैयार की जाएंगीं। ''बॉटम अप एप्रोच'' के मंत्र का पालन करते हुए राज्यों को, लक्ष्य एवं निर्धारित समय–सीमा तय करते हुए, वार्षिक कार्य योजना तथा पंचवर्षीय 'राज्य कार्य योजना' तैयार करनी होगी तथा मिशन–मोड में इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करना होगा तथा शतप्रतिशत ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से न्यूनतम 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से वर्ष 2024 तक पेयजल उपलब्ध कराना।

समुदाय की भागीदारी :–

मिशन के अंतर्गत ग्राम के अंदर प्रस्तावित कार्य की लागत का 5% अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य ग्रामों द्वारा एवं 10% अन्य ग्रामों द्वारा जनसहयोग Cash and / or Kind and / or labour के रूप में लिया जायेगा।

संस्थागत ढाँचा :–

- राष्ट्रीय जल जीवन मिशन – राष्ट्रीय स्तर पर
- राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन – राज्य स्तर पर (मुख्य सचिव की अध्यक्षता)
- जिला जल एवं स्वच्छता मिशन – जिला स्तर पर (कलेक्टर की अध्यक्षता)
- ग्राम पंचायत एवं / अथवा उपसमिति – ग्राम स्तर पर

क्रियान्वयन :–

- ग्राम सभा द्वारा यह निर्धारित किया जायेगा कि नलजल योजनाओं के कार्यों की प्लानिंग, निर्माण, प्रबंधन एवं संचालन–संधारण के दायित्व का निर्धारण ग्राम पंचायत अथवा ग्राम पंचायत की उपसमिति यथा ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/पानी समिति/हितग्राही समूह में से किसके द्वारा किया जायेगा।
- उपसमिति का कार्यकाल सामान्यतः 02–03 वर्ष का होगा तथा ग्राम सभा, जल जीवन मिशन के कार्यकाल में इस समिति को पुनर्गठित भी कर सकेगी।

- ग्राम के अंदर की संरचनायें जैसे– भूजल स्त्रोत, पाईप लाईन, टंकी, बिजली कनेक्शन, सम्पवेल, कैटल ट्रफ, वाशिंग–बाथिंग प्लेटफार्म, घरेलू कनेक्शन का कार्य ग्राम पंचायत/उपसमिति द्वारा कराया जायेगा।
- ग्राम स्तर पर योजना की प्लानिंग, क्रियान्वयन, प्रबंधन हेतु "इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी" राज्य जल मिशन द्वारा सूचीबद्ध की जायेगी, जो कि एन.जी.ओ./व्ही.ओ./महिला स्व सहायता समूह/सी.बी.ओ./ट्रस्ट/फाउन्डेशन हो सकते हैं।
- विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों एवं उनके द्वारा गठित उपसमितियों को सभी प्रकार का तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया जायेगा।
- विभाग द्वारा नलजल योजनाओं की Drawing/Design, Estimate आदि तैयार किये जायेंगे।
- राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा कार्यों के क्रियान्वयन हेतु कई एजेंसियाँ सूचीबद्ध की जायेंगी, जिनमें से पंचायत एवं उपसमिति द्वारा किसी एक का चयन कर कार्य कराया जायेगा। किये गये कार्य का निरीक्षण थर्ड पार्टी द्वारा किया जायेगा तथा किये गये कार्य के Measurement लेकर Running bill विभाग द्वारा तैयार किये जायेंगे।
- ग्राम पंचायत एवं पंचायत की उपसमिति कार्य करने में असमर्थ हों तो उन पंचायतों में विभाग द्वारा ग्राम सभा से अनुमोदन उपरांत कार्य कराया जा सकेगा किन्तु योजना के प्रबंधन एवं संचालन–संधारण की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत या उसकी उपसमिति की ही होगी।
- समूह नलजल योजनाओं के प्रकरण में ग्राम की टंकी/सम्पवेल तक पानी पहुंचाने हेतु निर्मित की जाने वाली संरचना का कार्य विभाग द्वारा किया जा सकेगा तथा In-village संरचनाओं की प्लानिंग/निर्माण का कार्य ग्राम पंचायत/उपसमिति द्वारा किया जायेगा।
- प्रस्तावित की जाने वाली नलजल योजनाओं की डी.पी.आर. में Source Sustainability/ Water Conservation/ Rain Water Harvesting/ Grey Water Management आदि के कार्य भी सम्मिलित किये जाने होंगे, जिसके लिये पंचायत/उपसमिति द्वारा अन्य विभागों के विभिन्न कार्यक्रमों से Convergence के माध्यम से राशि प्राप्त की जा सकेगी।

6. जल निगम :–

- नर्मदा के जल का उपयोग।
- नदियों, डैम से पेयजल हेतु जल का आरक्षण।
- सभी जिलों में तकनीकी साध्यता परीक्षण के आधार पर सतही स्रोतों पर आधारित समूह जलप्रदाय योजनाओं की डी. पी. आर. बनाने का कार्य।
- समूह योजनाओं के माध्यम से शहरों एवं गॉवों की दीर्घकालिक पेयजल व्यवस्था के अन्तर्गत बल्क वाटर उपलब्ध कराना।

भाग – सात

विभागीय प्रकाशन से सम्बन्धित जानकारी

विभाग द्वारा पेयजल स्त्रोतों के समीप साफ–सफाई, स्वच्छ पेयजल के उपयोग तथा उसके लाभ, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित सामग्री का प्रकाशन समय–समय पर किया जाता है, जिसे विभिन्न स्थलों पर प्रदर्शित किया जाता है। जिला एवं उपखण्ड स्तर पर भी ऐसी कार्यवाही सतत् रूप से की जाती है।

भाग – आठ

सारांश

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ग्रामीण जलप्रदाय कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु केंद्र शासन के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा संशोधित मार्गदर्शिका लागू की गई है जिसमें प्रदत्त अधिकारों के आधार पर राज्य शासन द्वारा सभी ग्रामों/बसाहटों में प्रत्येक परिवार को उसके निवास स्थान से 500 मीटर की परिधि में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों के ग्रामों अथवा बसाहटों में अधिकतम 30 मीटर की ऊँचाई या निचाई पर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से पेयजल व्यवस्था हेतु सुरक्षित पेयजल स्त्रोत उपलब्ध कराया जाना तय किया गया है। ऐसी बसाहटें जिनमें नलजल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से जलप्रदाय किया जाना है, न्यूनतम मात्रा 70 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित की गई है।

वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकांश योजनाएं भूगर्भीय जल स्त्रोतों पर आधारित हैं किंतु भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण प्रदेश के कई क्षेत्रों में भूगर्भीय जल की उपलब्धता में कठिनाई हो रही है। ग्रीष्मकाल में अनेकों क्षेत्रों में नलकूपों में जल स्तर नीचे जाने के कारण पानी की कमी की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए पेयजल के भूजल स्त्रोतों के संवर्धन एवं वर्षा जल से पुनर्भरण संबंधी कार्य भी विभाग द्वारा किये जा रहे हैं। इसी प्रकार, कठिनाई वाले क्षेत्रों में, जहां भूगर्भीय जल की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है, उन क्षेत्रों में व्यवहार्यता के आधार पर, समूह जलप्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन भी विभाग द्वारा प्रारम्भ किया गया है जो सतही स्त्रोतों पर आधारित होंगी तथा जल शुद्धिकरण के उपरांत जल वितरण प्रणाली के माध्यम से ऐसी योजनाओं के अंतर्गत आने वाले विभिन्न ग्रामों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की जा रही है।

गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों की सभी योजनाएं तैयार कर ली गई हैं एवं इन योजनाओं का क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया गया है। प्राथमिकता के आधार पर इन कार्यों को करने का प्रयास किया जा रहा है।

ग्रामीण पेयजल आपूर्ति की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत पंचायत स्तर पर स्थानीय व्यक्तियों को पेयजल गुणवत्ता संबंधी प्रशिक्षण भी दिये जा रहे हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत फील्ड टेस्ट किट्स् प्रत्येक पंचायत को उपलब्ध कराए गये हैं एवं पंचायत स्तर पर ही पेयजल के सभी स्त्रोतों की गुणवत्ता के परीक्षण की व्यवस्था की गई है। सभी विभागीय उपखंडों में उपखण्ड स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं जिससे पेयजल गुणवत्ता परीक्षण कार्य को और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।

इस प्रकार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सतत् प्रयत्नशील है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश